2025 का विधेयक संख्यांक 196

भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक, 2025

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

अनुज्ञप्ति और सुरक्षा प्राधिकार देना

3. नाभिकीय उर्जा के उत्पादन या उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति और सुरक्षा प्राधिकार ।
4. रेडियोधर्मी पदार्थ और विकिरण उत्पन्न करने वाले उपस्करों का विनियमन ।
5. कतिपय स्रोत सामग्रियों का खनन और प्रसंस्करण ।
6. अनुज्ञप्ति और सुरक्षा प्राधिकार के लिए आवेदन ।
7. अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार देने की शर्तें ।
8. अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार का निलंबन या रद्दकरण, आदि ।
9. अनुसंधान, विकास और नवाचार क्रियाकलाप को अनुज्ञप्ति से छूट ।

अध्याय 3

कर्तव्य और उत्तरदायित्व

10. अनुज्ञप्ति और सुरक्षा प्राधिकार प्रदत्त व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों के कर्तव्य ।
11. नाभिकीय संस्थापन के प्रचालक का उत्तरदायित्व ।
12. कतिपय परिस्थितियों में प्रचालक का उत्तरदायी नहीं होना ।
13. नाभिकीय घटना के लिए उत्तरदायित्व की सीमा ।
14. केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व ।
15. प्रचालक द्वारा बीमा या वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखना ।
16. प्रचालक का अवलंब का अधिकार ।

अध्याय 4

परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड

17. परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का गठन ।
18. बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के निबंधन और सेवा की शर्तें ।
19. बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना ।
20. बोर्ड की रिक्तियों को भरना ।
21. बोर्ड की बैठकें ।
22. रिक्तियों, आदि के कारण बोर्ड की कार्रवाई को अविधिमान्य नहीं किया जाएगा ।
23. बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी ।
24. बोर्ड की शक्तियां और कार्य ।

खंड

25. सामरिक प्रकृति के क्रियाकलापों का विनियमन ।
26. नाभिकीय घटना की अधिसूचना ।
27. बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजन और पुनर्विलोकन ।

अध्याय 5

निरीक्षण, अन्वेषण, तलाशी और जब्ती

28. प्रवेश और निरीक्षण।
29. अन्वेषण का संचालन ।
30. खोज और जब्ती ।

अध्याय 6

केंद्रीय सरकार की सामान्य शक्तियाँ और कार्य

32. केन्द्रीय सरकार की सामान्य शक्तियाँ और कार्य ।
33. कतिपय मामलों में अर्जन के अधिकार का निहित होना ।
34. कतिपय पदार्थों की अध्यापेक्षा ।
35. संविदाओं का नवीयन ।
36. अर्जन, अध्यपेक्षा, अधिग्रहण, निषेध आदि का अवधारण ।
37. विद्युत के संबंध में विशेष उपबंध ।
38. आविष्कारों के लिए विशेष उपबंध ।
39. प्रतिबंधित सूचना ।
40. प्रतिषिद्ध क्षेत्र ।
41. सामग्रियों, सुविधाओं या प्रसंस्करण संबंधी सूचना प्राप्त करने की शक्ति ।
42. उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 ।
43. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
44. छूट की शक्ति ।
45. निर्देश जारी करने की शक्ति ।
46. आपातकालीन शक्तियां ।

अध्याय 7

आवेदनों और अपीलों का पुनर्विलोकन

47. परमाणु ऊर्जा निवारण सलाह परिषद् की स्थापना ।
48. परिषद् द्वारा विवादों का निवारण ।
49. अपील अधिकरण ।
50. अपील अधिकरण के तकनीकी सदस्य ।
51. अपील ।
52. उच्चतम न्यायालय को अपीलें ।

अध्याय 8

नाभिकीय क्षति के लिए प्रतिकर

53. नाभिकीय क्षति के दावों हेतु राज्यक्षेत्र अधिकारिता ।
54. दावा आयुक्त ।
55. दावों के लिए आमंत्रित आवेदन।
56. नाभिकीय क्षति दावा आयोग की स्थापना ।
57. दावा आयोग की संरचना ।

खंड

58. दावा आयुक्त के अध्यक्ष की शक्तियां ।
59. दावा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें ।
60. दावा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पदत्याग और हटाया जाना ।
61. दावा आयोग की रिक्तियों का भरा जाना ।
62. दावा आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।
63. दावा आयोग को प्रतिकर के लिए आवेदन और लंबित मामलों का अंतरण ।
64. नाभिकीय नुकसान की बाबत प्रतिकर के लिए आवेदन ।
65. दावों के लिए न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया ।
66. प्रतिकर का अधिनिर्णय ।
67. दावा करने के अधिकारों का निर्वापन ।
68. अधिनिर्णयों का प्रवर्तन ।
69. कतिपय परिस्थितियों में दावा आयोग का विघटन ।

अध्याय 9

अपराध और शास्तियां

70. शास्तियां ।
71. अपराधों के लिए दंड ।
72. कंपनियों द्वारा अपराध ।
73. सरकारी विभागों द्वारा अपराध ।
74. अपराधों का संज्ञान।
75. अपराधों के अन्वेषण की शक्ति।
76. अपराधों के शमन की शक्ति।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

77. केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को अनुदान।
78. बोर्ड के लेखे और लेखापरीक्षा ।
79. बोर्ड द्वारा विवरणियों और रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना ।
80. दावा आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना ।
81. सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर वर्जन ।
82. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।
83. पहली और दूसरी अनुसूची के संशोधन की शक्ति ।
84. नियम बनाने की शक्ति ।
85. विनियमन बनाने की शक्ति ।
86. नियमों, विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।
87. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव ।
88. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति ।
89. अधिनियम 1970 का 39 का संशोधन ।
90. सरकार पर बाध्यकारी अधिनियम ।
91. निरसन और व्यावृत्ति ।

पहली अनुसूची
दूसरी अनुसूची
तीसरी अनुसूची

2025 का विधेयक संख्यांक 196

[दि सस्टनेबल हार्नेसिंग एंड ऐडवांसमेंट ऑफ न्युक्लियर इनर्जी फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया बिल 2025 का हिन्दी पाठ]

भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक, 2025

भारत के लोगों के कल्याण के लिए नाभिकीय विद्युत उत्पादन, स्वास्थ्य देखरेख, खाद्य, जल, कृषि, उद्योग, अनुसंधान, पर्यावरण, नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवपरिवर्तन हेतु नाभिकीय ऊर्जा और आयनकारी विकिरण के संवर्धन, और विकास तथा इसके क्षेमपूर्ण और सुरक्षित उपयोग के लिए सुदृढ़ विनियामक ढांचे और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत ने नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग में आत्मनिर्भर क्षमता हासिल कर ली है, यह आगे के अनुसंधान और विकास के माध्यम से देश की लगातार बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को तेजी से पूरा करने की दिशा में इसकी क्षमता को पहचानता है ;

और भारत ऐसे विकासों को जिम्मेदारीपूर्वक आगे बढ़ाता रहा है ;

और नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत और हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक स्वच्छ और प्रचुर स्रोत है और इसमें विकसित भारत की स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है ;

और भारत नाभिकीय ईंधन संसाधनों की स्थिरता के साथ-साथ सुरक्षित रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन को सक्षम करने के लिए बंद ईंधन चक्र की नीति का अनुसरण करता है, और उसने तीन चरणों वाला नाभिकीय ऊर्जा विकास क्रियाकलाप अपनाया है, जिसका उद्देश्य भारत के प्रचुर थोरियम भंडार का पूर्ण दोहन करना है ;

और थोरियम उपयोग के त्वरित विकास के लिए बड़े पैमाने पर अनुसंधान, विकास और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए मजबूत संस्थागत नींव की आवश्यकता है ;

और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च-प्रदर्शन संगणन, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, स्वदेशी अर्धचालक विनिर्माण तथा बड़े-पैमाने पर डेटा-आधारित अनुसंधान की तीव्र वृद्धि के लिए स्थिर, विश्वसनीय, प्रचुर, स्वच्छ और चौबीसों घंटे उपलब्ध विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है, जिसे परमाणु ऊर्जा के विस्तारित उपयोग के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है, तथा जिसके लिए निजी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला एक नवीन विधिक ढांचा आवश्यक है ;

और ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य, जल, कृषि, उद्योग, अनुसंधान, पर्यावरण और अन्य गैर-ऊर्जा उपयोगों में नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग तथा उन्नत सामग्री अनुसंधान, सटीक विनिर्माण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां और औद्योगिक स्वचालन सहित भविष्य-उन्मुख अनुप्रयोगों के समर्थन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ इसका उपयोग, भारत की विकासात्मक आकांक्षाओं की पूर्ति और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ;

और भारत कुल ऊर्जा मिश्रण में नाभिकीय ऊर्जा हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोजन और तैनाती का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है ;

और यह वांछनीय है कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से नाभिकीय ऊर्जा की क्षमता का दोहन किया जाए और अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, वित्त, बीमा और कौशल विकास सहित वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करने और उससे लाभ उठाने के लिए घरेलू उद्योग की भागीदारी का लाभ उठाया जाए ;

और परमाणु सुरक्षा और विकिरण सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के उत्कृष्ट रिकॉर्ड को बनाए रखना आवश्यक है, जिसके लिए परमाणु विद्युत कार्यक्रम के बड़े पैमाने पर विस्तार, तीव्र गति से उभरती कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम परमाणु और विकिरण प्रौद्योगिकियों तथा अन्य विकिरण अनुप्रयोगों के अनुरूप उत्कृष्टता को निरंतर सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ और उन्नत विधिक और विनियामक ढांचे की आवश्यकता है ;

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन अधिनियम, 2025 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की

जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ होने के प्रतिनिर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि निर्देश से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "क्रियाकलाप" से नाभिकीय ऊर्जा और आयनकारी विकिरण के उत्पादन या उपयोग से संबंधित या उससे सुसंगत कोई भी क्रियाकलाप अभिप्रेत है और इसमें रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन, विहित पदार्थ या रेडियोधर्मी पदार्थ का आयात, निर्यात या परिवहन और कोई अन्य अभ्यास या परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जिसमें कोई व्यक्ति विकिरण जोखिम के अधीन हो सकेगा ;

(2) "न्यायनिर्णयन अधिकारी" से धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन पदाभिहित न्यायनिर्णयन अधिकारी अभिप्रेत है ;

2003 का 36

(3) "अपील अभिकरण" से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 110 के अधीन स्थापित विद्युत अपील अभिकरण अभिप्रेत है ;

(4) "नाभिकीय ऊर्जा आयोग" से भारत सरकार के 1 मार्च, 1958 के संकल्प द्वारा स्थापित नाभिकीय ऊर्जा आयोग अभिप्रेत है ;

(5) "बोर्ड" से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन गठित नाभिकीय ऊर्जा विनियामक बोर्ड अभिप्रेत है ;

(6) "केन्द्रीय सरकार" से परमाणु ऊर्जा विभाग अभिप्रेत है ;

(7) "दावा आयोग" से धारा 56 के अधीन स्थापित नाभिकीय क्षति दावा आयोग अभिप्रेत है ;

(8) "दावा आयुक्त" से धारा 54 की उपधारा (2) के अधीन पदाभिहित दावा आयुक्त अभिप्रेत है ;

2013 का 18

(9) "कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में उसका है, किंतु इसमें भारत के बाहर निगमित कंपनी सम्मिलित नहीं है ;

(10) "परिषद्" से धारा 47 के अधीन स्थापित नाभिकीय ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है ;

(11) "बंद किया जाना" से किसी भी सुविधा या खान के संचालन को स्थायी रूप से बंद करना अभिप्रेत है, जिसमें उपस्कर को हटाया जा सकेगा, किसी विहित पदार्थ या रेडियोधर्मी सामग्री को हटाया या नियंत्रित किया जा सकेगा, साथ ही विनियामक या सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकेंगे ;

1986 का 29

(12) "पर्यावरण" का वही अर्थ होगा, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 के खंड (क) में उसका है ;

(13) "सुविधा" के अधीन नाभिकीय सुविधा और विकिरण सुविधा भी है ;

(14) "वित्तीय सुरक्षा" से क्षतिपूर्ति या गारंटी या शेयरों या बंधपत्रों या ऐसे लिखतों या उनका कोई संयोजन अभिप्रेत है ;

(15) "विखंडनीय पदार्थ" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) प्लूटोनियम ;

(ख) यूरेनियम-233 ;

(ग) समस्थानिक 235 ;

(घ) कोई भी पदार्थ, जिसमें पूर्वोक्त में से एक या अधिक तत्व हों ; और

(ङ) ऐसा अन्य पदार्थ, जिसे केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, इस संबंध में अधिसूचित करे ;

(16) "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में उसका है ; 2013 का 18

(17) "अनुज्ञप्ति" से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(18) "अनुज्ञप्तिधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है ;

(19) "खनिज" में पृथ्वी की सतह या पृथ्वी की परत के नीचे की सतह, चाहे मिट्टी हो या चट्टान, जिसमें समुद्र तल, समुद्री जल इत्यादि सम्मिलित हैं, से प्राप्त या प्राप्त किए जा सकने वाले सभी पदार्थ सम्मिलित हैं ; और इस अधिनियम में खनिजों के खनन से संबंधित किसी निर्देश का अर्थ खनिजों के खनन, प्राप्त करने, ले जाने, परिवहन, छांटने, निकालने या अन्यथा उपचार करने के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा ;

(20) अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से अभिप्रेत है और "अधिसूचित" या "अधिसूचित किया गया" शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ;

(21) "नाभिकीय नुकसानी" से किसी नाभिकीय घटना के कारण उत्पन्न कोई भी क्षति, हानि या नुकसानी अभिप्रेत है,—

(क) जो किसी नाभिकीय स्थापना में घटित हो ; या

(ख) जिसमें किसी नाभिकीय स्थापना से उत्पन्न, उससे परिवहन किए गए या उसकी ओर परिवहन किए जा रहे नाभिकीय पदार्थ सम्मिलित हों, चाहे वह क्षति ऐसे पदार्थ के रेडियोधर्मी गुणों से उत्पन्न हो, या रेडियोधर्मी गुणों के साथ-साथ विषैले, विस्फोटक या अन्य खतरनाक गुणों के संयोजन से उत्पन्न हो, और जिसके परिणामस्वरूप—

(i) जीवन की हानि या किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपहति, जिसमें तत्काल तथा दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव सम्मिलित हों ;

(ii) संपत्ति की हानि या क्षति ; या

(iii) कोई अन्य हानि या क्षति, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, जिसमें–

(अ) कोई भी आर्थिक हानि ;

(आ) क्षतिग्रस्त पर्यावरण की पुनर्स्थापना हेतु किए गए उपायों की लागत ;

(इ) पर्यावरण के उपयोग या उपभोग में आर्थिक हित से उत्पन्न आय की हानि ;

(ई) नाभिकीय नुकसानी की रोकथाम और न्यूनीकरण हेतु किए गए उपायों की लागत तथा ऐसे उपायों के परिणामस्वरूप हुई अतिरिक्त हानि या क्षति ।

(22) "नाभिकीय ऊर्जा" से परमाणु नाभिकों से किसी भी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप मुक्त होने वाली ऊर्जा अभिप्रेत है, जिसमें विखंडन और संलयन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं ; और इस अधिनियम में जहाँ कहीं भी नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन या उपयोग का उल्लेख किया गया है, उसे ऐसे किसी भी प्रक्रिया के संचालन के प्रति अर्थ में माना जाएगा जो ऐसे उत्पादन या उपयोग से पूर्व, पश्चात् अथवा उससे सहायक रूप में की गई हो।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी विधि अथवा विधि का बल रखने किसी अन्य लिखत में प्रयुक्त "परमाणु ऊर्जा" का इस खंड में यथा परिभाषित "नाभिकीय ऊर्जा" के प्रति निर्देश में अर्थ लगाया जाएगा ।

(23) "नाभिकीय सुविधा" से कोई भी संयंत्र अभिप्रेत में, जिसमें उसके परिसर और अहाते सम्मिलित हैं, जिसमें स्रोत सामग्री या विखंडनीय सामग्री का उत्पादन, प्रसंस्करण, उपयोग, संचालन, भंडारण या निपटान किया जाता है और इसमें नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, अनुसंधान रिएक्टर, ईंधन निर्माण संयंत्र, शोधन या रूपांतरण संयंत्र, व्ययनित ईंधन भंडारण सुविधा, संवर्धन संयंत्र, पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र, स्रोत या विखंडनीय सामग्री के उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन में लगी सुविधा या नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग या उत्पादन में लगी कोई अन्य सुविधा, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें अयस्कों का खनन और प्रसंस्करण और इससे उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के हथालन वाली सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं ;

(24) "नाभिकीय घटना" से कोई ऐसी घटना या घटनाओं की श्रृंखला अभिप्रेत है, जिसका एक ही उद्गम हो, जिसके परिणामस्वरूप नाभिकीय क्षति होती है या क्षति को रोकने या कम करने के लिए सभी उचित उपाय करने बावजूद, ऐसी क्षति होने का गंभीर और आसन्न ख़तरा प्रस्तुत होता है ;

(25) "नाभिकीय संस्थापन" से ऐसी नाभिकीय सुविधा अभिप्रेत है जहां—

(क) रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन हो सके, जिसके अंतर्गत बाहरी न्यूट्रॉनों द्वारा संचालन भी है, जो परिवहन के किसी भी साधन में सम्मिलित रिएक्टर से अलग हो ;

(ख) नाभिकीय ईंधन का उपयोग नाभिकीय सामग्री के उत्पादन या प्रसंस्करण के लिए किया जाता है, जिसमें विकिरणित नाभिकीय ईंधन का पुन:प्रसंस्करण भी सम्मिलित है ; या

(ग) नाभिकीय सामग्री भंडारित की जाती है (ऐसी सामग्री को ले जाने से संसक्त भंडारण से भिन्न),

और एक ही स्थल पर विद्यमान एक प्रचालक के कई नाभिकीय संस्थापन को एक ही नाभिकीय संस्थापन माना जाएगा ;

(26) "नाभिकीय सामग्री" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(क) नाभिकीय ईंधन, (प्राकृतिक यूरेनियम या घटित यूरेनियम से भिन्न) जो रिएक्टर के बाहर नाभिकीय विखंडन की आत्मनिर्भर श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा, या तो स्वयं या किसी अन्य सामग्री के साथ संयोजन में ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है ; और

(ख) कोई भी रेडियोधर्मी सामग्री, जो नाभिकीय ईंधन के उत्पादन या

उपयोग से संबंधित विकिरण में उत्पादित होती है, या उसके संपर्क में आने से रेडियोधर्मी बनी जाती है, लेकिन इसमें रेडियोआइसोटोप सम्मिलित नहीं हैं जो अपने मूल नाभिकीय स्थापन से अंतिम निर्माण के लिए निकल चुके हैं ताकि किसी वैज्ञानिक, चिकित्सा, कृषि, वाणिज्यिक या औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग योग्य हो सकें ;

(27) "नाभिकीय सुरक्षा" या "सुरक्षा" से आपराधिक या जानबूझकर किए गए या अप्राधिकृत या दुर्भावनापूर्ण कार्यों को रोकने, पता लगाने और उनका प्रत्युतर देने के उपाय अभिप्रेत हैं, जिसमें विखंडनीय सामग्री का अप्राधिकृत निष्कासन और विखंडनीय सामग्री, अन्य रेडियोधर्मी सामग्री या संबंधित सुविधाओं और क्रियाकलापों से संबंधित या उन पर निदेशित तोड़फोड़ सम्मिलित है ;

(28) नाभिकीय संस्थापन के संबंध में, "प्रचालक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के अधीन नाभिकीय संस्थापन चलाने के उद्देश्य से अनुज्ञप्ति दी गई है ;

(29) "व्यक्ति" में कोई व्यक्ति या कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, सम्मिलित है ;

(30) "संयंत्र" में मशीनरी, उपस्कर या उपकरण, चाहे वह ज़मीन से जुड़ा हो या नहीं, और उससे जुड़ा भवन और प्रवहण सम्मिलित हैं ;

(31) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(32) "विहित उपस्कर" से ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, विहित करे, जो उसकी राय में विशेष रूप से परिकल्पित की गई है या अनुकूलित है या जो किसी विहित पदार्थ के उत्पादन या उपयोग के लिए या नाभिकीय ऊर्जा, रेडियोधर्मी पदार्थों, या आयनकारी विकिरण के उत्पादन या उपयोग के लिए उपयोग की जाती है या उपयोग किए जाने का उद्देश्य है, लेकिन इसमें खनन, मिलिंग, प्रयोगशाला और अन्य उपस्कर सम्मिलित नहीं हैं जो विशेष रूप से परिकल्पित या अनुकूलित नहीं हैं और पूर्वोक्त उद्देश्यों में से किसी के लिए प्रयुक्त या प्रयोक्तव्य उपस्करों में सम्मिलित नहीं हैं ;

(33) "विहित पदार्थ" से कोई भी स्रोत सामग्री, विखंड्य सामग्री और ऐसी अन्य सामग्री अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विहित करे, जो ऐसा पदार्थ है जो उसकी राय में परमाणु ऊर्जा या आयनकारी विकिरण या उससे संसक्त या उससे संसक्त मामलों के उत्पादन या उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है या हो सकेगा ;

(34) "विकिरण" से आयनकारी विकिरण जैसे गामा किरण, एक्स-रे, और अल्फा कण, बीटा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉज़िट्रॉन और अन्य नाभिकीय और उप-नाभिकीय कण वाली किरण अभिप्रेत है ; किंतु ध्वनि या रेडियो तंरग या सूक्ष्मतंरग, या दृश्य, अवरक्त या पराबैंगनी लाइट नहीं ;

(35) "विकिरण सुविधा" से कोई भी अवस्थान या सुविधा, जिसमें मोबाइल सुविधा भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है, जिसमें मेडिसिन, उद्योग, खाद्य, जल, पर्यावरण, अनुसंधान और कृषि जैसे गैर-शक्ति उपयोजन के लिए जनन उपस्कर या संयंत्र या रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग सम्मिलित है ;

(36) "रेडियोधर्मी पदार्थ" या "रेडियोधर्मी सामग्री" से कोई ऐसा पदार्थ या

सामग्री अभिप्रेत है जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित स्तरों से अधिक विकिरण स्वतः उत्सर्जित करता है ;

(37) "रेडियोधर्मी अपशिष्ट" से उपयोग किए गए ईधन के अतिरिक्त कोई भी अपशिष्ट सामग्री अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार विहित किया जाए ,जिसका आगे कोई उपयोग नहीं है, जिसमें बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए गए स्तर से ज़्यादा मात्रा और सांद्रण में रेडियोन्यूक्लाइड हों ;

(38) "रिएक्टर" से कोई भी इंजीनियरी सुविधा अभिप्रेत है जिसमें नाभिकीय ईधन ऐसी व्यवस्था में हो जिससे नाभिकीय उर्जा बनाई, निकाली या उपयोग की जा सके ;

(39) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(40) "विनियामक दस्तावेज" में सुरक्षा संहिता, सुरक्षा मानक, सुरक्षा गाइड, सुरक्षा मैनुअल और बोर्ड द्वारा बनाए गए ऐसे अन्य दस्तावेज सम्मिलित हैं ;

(41) "रक्षोपाय" से ऐसे उपायों का एक समुच्चय अभिप्रेत है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि स्रोत सामग्री और विखंडन सामग्री को इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार नियंत्रण किया जाए और उनका लेखा रखा जाए ;

(42) "सुरक्षा" या "नाभिकीय सुरक्षा" या "विकिरण सुरक्षा" से उचित संचालन परिस्थितियों की प्राप्ति, दुर्घटनाओं की रोकथाम या दुर्घटना परिणामों का शमन अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों, जनसाधारण और पर्यावरण को विकिरण जोखिमों के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा मिल सके ;

(43) "सुरक्षा प्राधिकार" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा दी गई लिखित अनुमति अभिप्रेत है ;

(44) "स्रोत सामग्री" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) प्रकृति में पाए जाने वाले आइसोटोप का यूरेनियम वाला मिश्रण ;

(ख) आइसोटोप 235 में न्यून यूरेनियम ;

(ग) थोरियम ;

(घ) धातु, मिश्रधातु, रासायनिक संमिश्रण, या सांद्रण के रूप में कोई भी पूर्वगामी ;

(ङ) कोई अन्य सामग्री, जिसमें पूर्वगामी में से एक या अधिक ऐसे सांद्रण हों ; या

(च) ऐसा अन्य सामग्री, जिसे केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, अधिसूचित करे ;

(45) "व्ययनित ईधन" से ऐसा नाभिकीय ईधन अभिप्रेत जिसे रिएक्टर कोर में विकिरणित किया गया हो और स्थायी रूप से हटा दिया गया हो ।

अध्याय 2

अनुज्ञप्ति और सुरक्षा प्राधिकार देना

नाभिकीय उर्जा के उत्पादन या उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति और सुरक्षा प्राधिकार ।

3. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, निम्नलिखित व्यक्ति उपधारा (2) में विहित कोई भी सुविधा प्रारंभ करने या क्रियाकलाप करने के उद्देश्य से अनुज्ञप्ति के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन करने के पात्र होंगे, अर्थात्: –

(क) भारत सरकार का कोई विभाग या कोई संस्था या प्राधिकरण या संगम जो

ऐसी सरकार द्वारा स्थापित गया हो, उसके स्वामित्व या उसके नियंत्रण में हो ;

(ख) कोई सरकार कंपनी ;

(ग) कोई अन्य कंपनी ;

(घ) ऊपर विहित किसी कंपनी के मध्य सहउद्यम ; या

(ङ) कोई अन्य व्यक्ति जिसे केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से ऐसी सुविधाएं प्रारंभ करने या ऐसे क्रियाकलाप करने की स्पष्ट रूप से अनुज्ञा दी हो।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति नीचे दी गई सुविधाओं और क्रियाकलाप की स्थापना या उपक्रम के लिए आवश्यक होगी, अर्थात्: —

(क) नाभिकीय शक्ति संयंत्र या रिएक्टर विनिर्मित करना, उसका स्वामित्व, प्रचालन या बंद करना ;

(ख) नाभिकीय ईंधन का विनिर्माण, जिसमें यूरेनियम-235 का रूपांतरण, परिष्करण और संवर्धन, या किसी अन्य विहित पदार्थ का उत्पादन, उपयोग, प्रसंस्करण अथवा निपटान, ऐसी अवसीमा तक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए सम्मिलित है ;

(ग) नाभिकीय ईधन या व्ययनित ईधन या किसी अन्य विहित पदार्थ का परिवहन या भंडारण ;

(घ) नाभिकीय ईधन या विहित पदार्थ का आयात, निर्यात, अर्जन, या कब्ज़ा ;

(ङ) नियत उपस्कर का आयात, निर्यात, अर्जन या उपयोग ;

(च) किसी भी प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेयर का आयात या निर्यात, जिसका उपयोग विहित पदार्थ या विहित उपस्कर के विकास, उत्पादन या उपयोग के लिए किया जाए ; या

(छ) कोई अन्य सुविधाएं या क्रियाकलाप, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति की अपेक्षा वाली सुविधाओं या क्रियाकलापों के लिए सुरक्षा प्राधिकरण की भी आवश्यकता होगी, यदि ऐसी सुविधाओं या क्रियाकलापों से किसी व्यक्ति के विकिरण के संपर्क में आने की संभावना हो, जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(4) उपधारा (2) में उल्लिखित सुविधाओं की स्थापना या क्रियाकलापों के संचालन के दौरान,—

(क) भारत में उत्पादित अथवा आयातित किसी भी रूप में उपलब्ध स्रोत सामग्री और विखंडनीय सामग्री लेखांकन के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार की मॉनीटरी और नियंत्रण में रहेगी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रक्षोपायों के अधीन होगी ;

(ख) प्रयुक्त ईंधन, बोर्ड द्वारा विहित अवधि तक अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित अतिरिक्त अवधि तक शीतलन अवधि के लिए सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाएगा, और उसके पश्चात् उसे उसके आगे के प्रबंधन के लिए केंद्रीय सरकार को सौंपा जाएगा या उत्पत्ति देश को प्रत्यावर्तित किया जाएगा ;

(ग) किसी परमाणु सुविधा में प्रयुक्त भारी जल लेखांकन के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार की देखरेख में रहेगा तथा अपने विहित उपयोग के पश्चात् या केंद्रीय

सरकार के निर्देशानुसार उसे केंद्रीय सरकार को वापस सौंपा जाएगा,

और खंड (ख) के अधीन व्ययनित की सुपुर्दगी और उसके पश्चात् प्रबंधन या उसके प्रत्यावर्तन की लागत तथा खंड (ग) के अधीन भारी जल की सुपुर्दगी की लागत, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जाएगी ।

(5) नीचे दी गई सुविधाएं और क्रियाकलाप केवल केंद्रीय सरकार या उसके पूर्ण स्वामित्व वाली कोई संस्था या कारखाना ही विनिर्मित करेगी या प्रारंभ करेगी, अर्थात् :—

(क) विहित पदार्थ या रेडियोधर्मी पदार्थ का संवर्धन तथा समस्थानिक पृथक्करण, जब तक कि इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया गया हो ;

(ख) व्ययनित ईंधन का प्रबंधन, जिसमें पुन:प्रसंस्करण, पुर्नचक्रण, उसमें विद्यमान रेडियोन्यूक्लाइड का पृथक्करण और उससे निकलने वाले उच्च-स्तर रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन सम्मिलित है ;

(ग) भारी जल का उत्पादन और समस्थानिक पृथक्करण से उसका उन्नयन ; और

(घ) कोई अन्य सुविधाएं या क्रियाकलाप, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं ।

रेडियोधर्मी पदार्थ और विकिरण उत्पन्न करने वाले उपस्करों का विनियमन ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, जो,—

(क) किसी रेडियोधर्मी पदार्थ और विकिरण उत्पन्न करने वाले उपस्कर विनिर्मित करना, रखना, उपयोग करना, निर्यात करना, आयात करना, परिवहन करना, निपटारा करना या विक्रय या अन्यथा अंतरण करना चाहता है ; या

(ख) कोई विकिरण सुविधा की स्थापना, प्रचालन या बंद करना या उससे संसक्त क्रिया करना चाहता है,

उसे बोर्ड से सुरक्षा प्राधिकार लेना होगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, यदि वह लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या सही समझे, तो वह किसी भी प्रवर्ग या वर्ग के रेडियोधर्मी पदार्थों और उच्च उर्जा विकिरण उत्पन्न करने वाले उपस्करों के निर्यात, आयात या विनिर्माण को, जो वह अधिसूचित करे, अनुज्ञप्ति के अधीन करने की ज़रूरत बता सकेगी :

(3) विकिरण विज्ञान-संबंधी आपात के मामले में, जो विनियमों द्वारा विहित किया जाए, रेडियोधर्मी पदार्थों के सुरक्षित निपटान के लिए परिवहन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(4) केंद्रीय सरकार, रेडियोधर्मी पदार्थ के भंडारण, उपयोग, निपटान, परिवहन के दौरान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगी, और उसका पालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए,—

(क) किसी भी आधान या पैकेज या गाड़ी या संयंत्र का निरीक्षण कर सकेगी ; और

(ख) रेडियोधर्मी पदार्थों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री अनुरक्षित कर सकेगी ।

(5) केंद्रीय सरकार, बोर्ड की सिफारिशों पर या यदि वह विकिरण के खतरों की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे, तो किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ या विकिरण उत्पन्न करने वाले उपस्कर का नियंत्रण ले सकेगी, जिसमें उनका सुरक्षित निपटान भी सम्मिलित

है और ऐसे निपटान का खर्च सुरक्षा प्राधिकार रखने वाले से वसूला जा सकेगा ।

कतिपय स्रोत सामग्रियों का खनन और प्रसंस्करण ।

5. (1) केंद्रीय सरकार, निम्नलिखित की उपस्थिति की खोज करने के प्रयोजन के लिए गन्वेषण संक्रियाओं का कार्य कर सकेगी,—

(क) भूमि में या भूमि पर, जिसके अंतर्गत समुद्र तल भी सम्मिलित है, किसी खनिज, चाहे प्राकृतिक अवस्था में या जमा की अवस्था में हो ; या

(ख) किसी भूमिगत या किसी कार्यरत सतह से अभिप्राप्त अपशिष्ट पदार्थ में किसी खनिज ; या

(ग) किसी अन्य पदार्थ, जो उसकी राय में विहित पदार्थ अभिप्राप्त किया जा सकता है :

परंतु कोई व्यक्ति, जिसे यह ज्ञात होता है या जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि भारत में किसी स्थान पर यूरेनियम या थोरियम उपलब्ध है, तुरंत केंद्रीय सरकार को सूचित करेगा ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यूरेनियम और थोरियम वाले तटवर्ती या अपतटीय स्थानों पर खानों और खनिजों का कार्यकरण और ऐसी खानों को बंद करना, केवल सरकार, किसी सरकारी कंपनी, या सरकार के स्वामित्व वाले या उसके नियंत्रण वाले किसी निगम द्वारा, और केवल किसी अनुज्ञप्ति या किसी सुरक्षा प्राधिकार के अधीन किया जाएगा :

परंतु ऐसा खनिज उस श्रेणी का होगा, जो उस सीमा-मूल्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, के समतुल्य या अधिक होगा :

परंतु यह और कि जहां ऐसे खनिज की श्रेणी सीमा-मूल्य से न्यून है, वहां उसकी संभाल और उसका निपटान, ऐसे आदेश के अनुसार होगा, जो खनिजों के संरक्षण के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा और विकिरण सुरक्षा के संबंध में बोर्ड द्वारा जारी किए जाएं ।

(3) जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी खदान या खनिज के कार्यकरण से या किसी भौतिक, रासायनिक या धातुकर्म प्रक्रिया से किसी सामग्री के उपचार या सांद्रण से यूरेनियम, थोरियम या किसी अन्य विहित पदार्थ को उचित रूप से पृथक् किया जा सकता है या निकाला जा सकता है, तो वह, आदेश द्वारा,—

(क) अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसे क्रियाकलापों को अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार के अधीन किया जाए ;

(ख) ऐसे निबंधन और शर्तें अधिरोपित कर सकेगी, जो क्रियाकलापों को करने के लिए आवश्यक समझे जाए ; या

(ग) ऐसी क्रियाकलापों को करने पर प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।

(4) जहां केंद्रीय सरकार, उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन कोई निबंधन और शर्तें अधिरोपित करती है, या उस उपधारा के खंड (ग) के अधीन कोई प्रतिषेध लगाने का आदेश देती है, वहां वह धारा 36 के अनुसार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर दे सकेगी ।

(5) सभी यूरेनियम या थोरियम, जो खनन किए गए हों, पृथक् किए गए हों या निकाले गए हों, और कोई खनिज, सांद्रित या अन्य सामग्री, चाहे खनन किए गए हों, उपचारित किए गए हों या सांद्रित किए गए हों, जिनमें यूरेनियम या थोरियम अपनी प्राकृतिक अवस्था में उस अनुपात से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अधिक हो, उस सरकार में निहित होंगी और उनकी पूर्व अनुज्ञा के बिना और ऐसे निबंधनों और शर्तों तथा ऐसे सुरक्षा उपायों, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के

अनुसार विक्रय, अंतरण या किसी अन्य रीति से व्ययन नहीं किया जाएगा ।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट कोई सामग्री, जिसमें उस उपधारा के अधीन अधिसूचित अनुपात से कम यूरेनियम और थोरियम युक्त कोई अवशेष, अस्वीकार, उपोत्पाद या अवशेष सम्मिलित है, जिसका केंद्रीय सरकार की राय में कोई पूर्वानुमानित उपयोग नहीं है, उसे खतरनाक पदार्थ समझा जाएगा और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार रख-रखाव किया जाएगा ।

1986 का 29

(7) केंद्रीय सरकार, किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के उपबंधों के अनुसार गैर-अनुपालन की दशा में या जहां राष्ट्रीय नीति या सार्वजनिक हित या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, अनिवार्य रूप से किसी खनिज, सांद्रता या पदार्थ का अधिग्रहण कर सकती है और ऐसे खनिज, सांद्रता या पदार्थ को उसे या ऐसे प्राधिकरण को, जैसा वह निर्देशित करे, सौंपने की आवश्यकता हो ।

अनुज्ञप्ति और सुरक्षा प्राधिकार के लिए आवेदन ।

6. (1) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से किया जाएगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज, सूचना और ऐसी फीस होगी, जो विहित किए जाएं ।

(2) सुरक्षा प्राधिकार के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति से किया जाएगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज, सूचना और फीस होगी, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार देने की शर्तें ।

7. (1) केंद्रीय सरकार, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन, जो विहित किए जाएं, जिसमें डिज़ाइन, विनिर्माण, कमीशनिंग, प्रचालन, रख-रखाव, जीवन प्रबंधन, डीकमीशनिंग, गुणवता आश्वासन, रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन, उत्तरदायित्व, सुरक्षा जैसे पहलुओं को सम्मिलित करने वाले वित्तीय, तकनीकी, प्रबंधन और अन्य संगठनात्मक क्षमताओं का अनुपालन सम्मिलित है, जैसा वह आवश्यक समझे, प्रसुविधा या खनन के पूर्ण जीवनकाल के लिए, अनुज्ञप्ति दे सकेगी ।

(2) बोर्ड, धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन किए गए आवेदन पर, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, सुरक्षा प्राधिकार दे सकेगा, जिसमें लागू विनियामक दस्तावेज का अनुपालन सम्मिलित है ।

(3) जहां कोई आवेदक किसी प्रसुविधा के संबंध में दो कारबार क्रियाकलाप करने के लिए आवेदन करता है, वहां केंद्रीय सरकार या बोर्ड, उन सभी या कतिपय क्रियाकलाप को करने के लिए, जिनके लिए आवेदन किया गया है, सुरक्षा प्राधिकार की एकल एकीकृत अनुज्ञप्ति प्रदत्त कर सकेंगे ।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किसी कंपनी को कोई अनुज्ञप्ति प्रदत्त नहीं की जाएगी, यदि केंद्रीय सरकार को ज्ञात है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसका स्वामित्व, नियंत्रण या प्रभुत्व ऐसे अस्तित्व के पास है, जो रक्षा और राष्ट्रीय संरक्षा, या जनस्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हानिकर है ;

(ख) भारत में किसी व्यक्ति को कोई अनुज्ञप्ति प्रदत्त नही की जाएगी, यदि केंद्रीय सरकार की राय में, ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देना रक्षा और राष्ट्रीय संरक्षा, या जनस्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हानिकर है ।

(5) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त कोई अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार, ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए ।

(6) केंद्रीय सरकार या बोर्ड, आवेदन पर, किसी अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार को ऐसी अवधि के लिए, जो आवश्यक समझी जाए, बढ़ा सकेंगे या नवीकृत कर सकेंगे ।

(7) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त कोई अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा के सिवाए अंतरित नहीं किया जा सकेगा ।

(8) इस धारा की कोई बात, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी अनुज्ञप्ति या किसी सुरक्षा प्राधिकार से इंकार के, केंद्रीय सरकार या बोर्ड के प्राधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।

(9) केंद्रीय सरकार या बोर्ड, आवेदन पर या अन्यथा लोक हित में, अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों में ऐसे परिवर्तन या संशोधन कर सकेंगे, जो आवश्यक समझे जाएं ।

अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार का निलंबन या रद्दकरण, आदि ।

8. (1) केंद्रीय सरकार या बोर्ड, आदेश द्वारा, और ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार प्रदत्त किया गया है, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, किसी भी समय, खानों, प्रसुविधाओं या क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार की अवधि को संशोधित, निलंबित, रद्द या कम कर सकेगी, यदि उसकी राय में, वह व्यक्ति,—

(क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध ;

(ख) अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार से संबद्ध किसी निबंधन या शर्त ; या

(ग) केंद्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या जारी किसी निर्देश,

का उल्लंघन करता है या उनका अनुपालन करने में असफल रहता है ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्ति की अवधि को संशोधित कर सकेगी, निलंबित कर सकेगी, रद्द कर सकेगी या कम कर सकेगी, यदि किसी समय,—

(क) केंद्रीय सरकार को जानकारी है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि अनुज्ञप्तिधारी का स्वामित्व, नियंत्रण या प्रभुत्व ऐसे अस्तित्व के पास है, जो रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, या जनस्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हानिकर है ;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति इतनी क्षय हो गई है कि वह अब अनुज्ञप्त कारबार का सुरक्षित, सुनिश्चित या विश्वसनीय रीति से प्रचालन करने में सक्षम नहीं है,

(ग) कोई ऐसा व्यवहार, चूक, या परिस्थिति हैं, चाहे कार्रवाई से हो या व्यतिक्रम से, जिससे अनुज्ञप्त कारबार के प्रचालन को जारी रखने में कोई बड़ा जोखिम होता है ;

(घ) अनुज्ञप्ति को जारी रहने से लोक हित, स्वास्थ्य, या लोक सुरक्षा या पर्यावरण या राष्ट्रीय सुरक्षा या सुरक्षोपायों या नाभिकीय सुरक्षा को हानि होने की संभावना है ।

(3) किसी अनुज्ञप्ति की अवधि के निलंबन या संशोधन या कटौती होने पर, अनुज्ञप्तिधारी, केंद्रीय सरकार के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी कदम उठाएगा, जिसमें असफल रहने पर, अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी :

परंतु कोई अनुज्ञप्ति एक वर्ष से अधिक के लिए निलंबित नहीं की जाएगी ।

(4) अनुज्ञप्ति रद्द होने पर, केंद्रीय सरकार अनुज्ञप्ति वाली प्रसुविधा या खान को

अपने नियंत्रण में लेगी और रक्षा, सुरक्षा, सुरक्षोपाय और किसी अन्य उत्तरदायित्वों का ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, अनुपालन सुनिश्चित करेगी, और अनुज्ञप्त कारबार को जारी रखने के लिए उपाय करेगी ।

(5) केंद्रीय सरकार, इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति को रद्द करने से पूर्व, निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी, अर्थात् :—

(क) अनुज्ञप्ति रद्द होने पर कारबार का प्रशासन ;

(ख) ऋणदाताओं, विनिधानकर्ताओं, उपभोक्ताओं और दूसरे पणधारियों के हितों की सुरक्षा के लिए उपाय ;

(ग) अनुज्ञप्त कारबार को जारी रखने के लिए संक्रमणकालीन योजना ।

अनुसंधान, विकास और नवाचार क्रियाकलाप को अनुज्ञप्ति से छूट ।

9. (1) कोई व्यक्ति, शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए नाभिकीय ऊर्जा और विकिरण से संबद्ध विषयों में, उन क्रियाकलापों के सिवाय, जो धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन अनन्य रूप से केंद्रीय सरकार के लिए आरक्षित हैं या जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ है, अनुसंधान, विकास, डिज़ाइन और नवाचार कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन क्रियाकलाप करते समय, व्यक्तियों, जनता और पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्याप्त रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी ।

(3) इस धारा की कोई बात, केंद्रीय सरकार को, विहित पदार्थ की कम मात्रा के उपयोग को, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस धारा के अधीन अनुसंधान करने के लिए आवश्यक होना अवधारित किया जाए, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह ठीक समझे, अनुज्ञात करने से निवारित नहीं करेगी ।

अध्याय 3

कर्तव्य और उत्तरदायित्व

अनुज्ञप्ति और सुरक्षा प्राधिकार प्रदत्त व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों के कर्तव्य ।

10. (1) कोई व्यक्ति, जिसे अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार दिया गया है, वह—

(क) उस प्रयोजन, जिसके लिए अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार दिया गया है, के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं करेगा ;

(ख) अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार और क्रय करार में उपबंधित सुरक्षोपायों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, विहित पदार्थ या विकिरण पदार्थ का प्रबंध करेगा या विहित उपस्कर या विकिरण सृजित करने वाले उपस्कर का प्रचालन करेगा ।

(2) किसी प्रसुविधा के किसी कर्मचारी, कारखाने के अधिष्ठाता, खान के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति का, जो विकिरण पदार्थ या विकिरण सृजित करने वाले उपस्कर का धारक है, सुरक्षा, संरक्षा और सुरक्षोपाय के लिए मुख्य उत्तरदायित्व होगा और वह ऐसी शर्तों और निबंधनों, जो विहित की जाएं, का अनुपालन करेगा ।

(3) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार प्रदत्त किया गया है,—

(क) अनुज्ञप्ति और सुरक्षा प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों, तथा सुरक्षा, संरक्षा और सुरक्षोपाय, गुणवत्ता आश्वासन और नियंत्रण, विकिरण अपशिष्ट प्रबंधन और सुविधाओं को बंद करने के संबंध में और सुविधा या खदान के पूर्ण जीवनकाल में डिज़ाइन समर्थन बनाए रखने के लिए, इस अधिनियम के अधीन जारी नियमों, विनियमों, आदेशों और विनियामक दस्तावेजों का अनुपालन करेगा ;

(ख) ऐसी लेखा बही या अन्य दस्तावेज या अभिलेख बनाए रखेगा, जिनकी केंद्रीय सरकार या बोर्ड को अपेक्षा हो सकेगी ;

(ग) केंद्रीय सरकार या बोर्ड को ऐसी आवधिक विवरणियां और विवरण प्रस्तुत करेगा, जो अपेक्षित हों ;

(घ) निरीक्षण और अन्वेषण करने के लिए, स्थल पर केंद्रीय सरकार और बोर्ड के प्राधिकृत प्रतिनिधि, जिसमें उनके रेजिडेंट अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित हैं, को पहुंच और आवश्यक अवसंरचना प्रदान करेगा ;

(ङ) ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, —

(i) विकिरण पदार्थ का सुरक्षित निपटान और सुविधा या खदान को बंद करना सुनिश्चित करने के लिए ; और

(ii) प्रसुविधा या खनन में या निकटवर्ती क्षेत्रों में या परिवहन के के दौरान, विकिरण या विकिरण संरोधन के कारण हुई, नाभिकीय क्षति से भिन्न, किसी चोट, नुकसान या क्षति से होने वाले मुआवज़े के दावों के निपटान के लिए,

पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा बनाए रखेगा ।

नाभिकीय संस्थापन के प्रचालक का उत्तरदायित्व ।

11. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नाभिकीय संस्थापन का प्रचालक,—

(क) उस नाभिकीय संस्थापन में हुई किसी नाभिकीय घटना ; या

(ख) किसी नाभिकीय घटना, जिसमें उस नाभिकीय संस्थापन से परिवहन की गई नाभिकीय सामग्री अंतवर्लित है और घटना निम्नलिखित से पूर्व हुई है,—

(i) अन्य प्रचालक द्वारा लिखित करार के अनुसरण में, नाभिकीय घटना का, जिसमें ऐसी नाभिकीय सामग्री अंतर्वलित है, उत्तरदायित्व ग्रहण करने ;

(ii) अन्य प्रचालक द्वारा ऐसी नाभिकीय सामग्री को अपनी अभिरक्षा में लेने ;

(iii) किसी रिएक्टर के प्रचालन के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे रिएक्टर में, जिसमें परिवहन का कोई साधन सम्मिलित है, उपयोग होने वाले नाभिकीय सामग्री को अपनी अभिरक्षा में लेने ; या

(iv) ऐसी नाभिकीय सामग्री को उस परिवहन ट्रांसपोर्ट के साधन से, जिससे उसे किसी विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को भेजा गया था, उतारने ;

(ग) किसी नाभिकीय घटना, जिसमें उस नाभिकीय संस्थापन को परिवहन की गई नाभिकीय सामग्री अंतवर्लित है और घटना निम्नलिखित के पश्चात् हुई है,--

(i) अन्य नाभिकीय संस्थापन के प्रचालक द्वारा, लिखित करार के अनुसरण में, नाभिकीय घटना का, जिसमें ऐसी नाभिकीय सामग्री अंतर्वलित है, उत्तरदायित्व उस प्रचालक को अंतरित करने ;

(ii) उस प्रचालक द्वारा ऐसी नाभिकीय सामग्री को अपनी अभिरक्षा में लेने ;

(iii) उस प्रचालक द्वारा ऐसे रिएक्टर, जिसमें परिवहन का कोई साधन सम्मिलित है, का प्रचालन करने वाले व्यक्ति से ऐसी नाभिकीय सामग्री को

अपनी अभिरक्षा में लेने ;

(iv) ऐसी नाभिकीय सामग्री को, उस प्रचालक की लिखित सहमति से, उस परिवहन ट्रांसपोर्ट के साधन पर लादने, जिससे उसे किसी विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्र से ले जाया जाना है,

से होने वाले नाभिकीय नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) जहां नाभिकीय नुकसान के लिए एक से अधिक प्रचालक उत्तरदायी हैं, वहां इस प्रकार अंतर्वलित प्रचालकों का उत्तरदायित्व, जहां तक प्रत्येक प्रचालक के कारण होने वाला नुकसान पृथक् नहीं किया जा सकता, संयुक्त और पृथक्-पृथक् होगा :

परंतु ऐसे प्रचालकों का कुल उत्तरदायित्व दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व की सीमा से अधिक नहीं होगा ।

(3) जहां एक ही प्रचालक के कई नाभिकीय संस्थापन किसी नाभिकीय घटना में सम्मिलित हैं, तो ऐसा प्रचालक, ऐसे प्रत्येक नाभिकीय संस्थापन के संबंध में, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व की सीमा तक उत्तरदायी होगा ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) जहां नाभिकीय नुकसान, ऐसे संस्थापन में सामग्री-परिवहन के अस्थायी भंडारण के कारण किसी नाभिकीय संस्थापन में किसी नाभिकीय घटना होने के कारण होता है, तो ऐसी सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्रचालक समझा जाएगा ;

(ख) जहां नाभिकीय नुकसान, नाभिकीय सामग्री के परिवहन के दौरान नाभिकीय घटना के कारण होता है, तो प्रेषक को प्रचालक समझा जाएगा ;

(ग) जहां, यथास्थिति, प्रेषक और प्रेषिती के बीच या प्रेषक और नाभिकीय सामग्री के वाहक के बीच कोई लिखित करार हुआ है, तो ऐसे करार के अधीन किसी नाभिकीय नुकसान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्रचालक समझा जाएगा ;

(घ) जहां नाभिकीय नुकसान और नाभिकीय नुकसान से भिन्न अन्य नुकसान, दोनों किसी नाभिकीय घटना के कारण या, संयुक्त रूप से किसी नाभिकीय घटना और एक या अधिक अन्य घटनाओं के कारण हुआ है, तो ऐसा अन्य नुकसान, जहां तक वह नाभिकीय नुकसान से पृथक् नहीं किया जा सके, ऐसी नाभिकीय घटना के कारण हुआ नाभिकीय नुकसान समझा जाएगा ।

कतिपय परिस्थितियों में प्रचालक का उत्तरदायी नहीं होना ।

12. (1) कोई प्रचालक, निम्नलिखित के कारण हुई किसी नाभिकीय नुकसान द्वारा हुए नुकसान के सिवाय, किसी नाभिकीय नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा,—

(क) किसी आपवादिक परिस्थिति की किसी गंभीर प्राकृतिक आपदा ; या

(ख) सशस्त्र संघर्ष, शत्रुता, गृहयुद्ध, विद्रोह या आतंकवाद के किसी कार्य :

परंतु कोई प्रचालक, निम्नलिखित के कारण हुए किसी नाभिकीय नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा :--

(क) स्वयं नाभिकीय संस्थापन और उस स्थल पर, जहां ऐसा संस्थापन अवस्थित है, कोई अन्य नाभिकीय संस्थापन, जिसमें कोई निर्माणाधीन नाभिकीय संस्थापन भी सम्मिलित है ;

(ख) उसी स्थल पर कोई संपत्ति, जो ऐसे किसी संस्थापन के संबंध उपयोग होती है या उपयोग की जानी है ; या

(ग) परिवहन का वह साधन, जिस पर अंतर्वलित नाभिकीय सामग्री नाभिकीय घटना के समय ले जाई जा रही थी ।

(2) जहां किसी व्यक्ति को स्वयं की लापरवाही या स्वयं की भूल-चूक के कारण कोई नाभिकीय नुकसान होता है, तो प्रचालक ऐसे व्यक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

नाभिकीय घटना के लिए उत्तरदायित्व की सीमा ।

13. (1) प्रत्येक नाभिकीय घटना के संबंध में उत्तरदायित्व की अधिकतम रकम तीन अरब विशेष आहरण अधिकार के समतुल्य रुपये या ऐसी उच्चतर रकम होगी, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

(2) पृथक्-पृथक् प्रवर्ग के नाभिकीय संस्थापन के लिए प्रत्येक नाभिकीय घटना के संबंध में किसी प्रचालक के उत्तरदायित्व की अधिकतम रकम वह होगी, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो :

परंतु उत्तरदायित्व की रकम में कोई ब्याज या कार्रवाई का व्यय सम्मिलित नहीं होगा ।

(3) यदि इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत किए जाने वाला प्रतिकर उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, तो केंद्रीय सरकार अतिरिक्त उपाय, जहां आवश्यक हो, कर सकेगी, जिसमें 27 अक्टूबर, 2010 को वियना में हस्ताक्षर किए गए नाभिकीय नुकसान के लिए अनुपूरक प्रतिकर पर अभिसमय, जिसका भारत गणराज्य हस्ताक्षरकर्ता है, के अधीन निधि की मांग मांगना सम्मिलित है :

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विशेष आहरण अधिकार" से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि द्वारा सृजित एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति अभिप्रेत है, जिसके मूल्य का अवधारण और सदस्य देशों को आबंटन उसके द्वारा किया जाता है ।

केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व ।

14. (1) केंद्रीय सरकार, किसी नाभिकीय घटना के संबंध में नाभिकीय नुकसान के लिए उत्तरदायी होगी,—

(क) जहां उत्तरदायित्व दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रचालक के उत्तरदायित्व की रकम से अधिक हो, वहां उस सीमा तक जहां तक ऐसा उत्तरदायित्व प्रचालक के उत्तरदायित्व से अधिक हो ;

(ख) उसके स्वामित्व वाले नाभिकीय संस्थापन में होने वाली किसी घटना ; और

(ग) जो धारा 12 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कारणों से होने वाली किसी घटना :

परंतु केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे नाभिकीय संस्थापन, जिसका प्रचालन वह नहीं करती है, के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व ले सकेगी, यदि उसकी राय में ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ग) के अधीन अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के प्रयोजन के लिए, ऐसे रीति में, जो विहित की जाए, नाभिकीय उत्तरदायित्व निधि नामक एक निधि बना सकेगी ।

प्रचालक द्वारा बीमा या वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखना ।

15. (1) प्रचालक, नाभिकीय संस्थापन के प्रचालन से पूर्व, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व को पूरा करने वाली बीमा पॉलिसी या ऐसी अन्य वित्तीय प्रतिभूति या दोनों का संयोजन, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्राप्त करेगा ।

(2) प्रचालक, समय-समय पर बीमा पॉलिसी या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का नवीकरण, उसकी विधिमान्यता की अवधि के अवसान से पूर्व करेगा ।

(3) इस धारा के उपबंध केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाले नाभिकीय संस्थापन पर लागू नहीं होंगे ।

प्रचालक का अवलंब का अधिकार ।

16. नाभिकीय संस्थापन के प्रचालक को, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नाभिकीय नुकसान के लिए प्रतिकर का संदाय करने के पश्चात्, अवलंब का अधिकार होगा, जहां,—

(क) ऐसा अधिकार लिखित संविदा में स्पष्ट रूप से उपबंधित है ; या

(ख) नाभिकीय घटना, किसी व्यक्ति के नाभिकीय नुकसान कारित करने के आशय से की गई भूल-चूक के कारण हुई है ।

अध्याय 4

परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड

परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का गठन ।

1962 का 33

17. (1) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 27 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके गठित किया गया परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड इस अधिनियम के अधीन गठित हुआ समझा जाएगा ।

(2) बोर्ड में, केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त किए जाने वाले और इस अधिनियम के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और और उसे सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, एक अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक सदस्य और सात से अनधिक अल्पकालिक सदस्य होंगे ।

(3) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे और उनकी अर्हताएं, अनुभव तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, जिनमें आयु सीमा भी सम्मिलित है, ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं :

परंतु बोर्ड का अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक सदस्य नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिष्ठ व्यक्ति होगा ।

(4) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को केंद्रीय सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा गठित की जाने वाली खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाएगा :

परंतु बोर्ड के सदस्यों के चयन के लिए बनाई गई खोजबीन-सह-चयन समिति में, उसके एक सदस्य के रूप में बोर्ड का अध्यक्ष भी सम्मिलित होगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन नामों की सिफारिश करने के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए ।

(6) अध्यक्ष कोऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां होंगी, जो बोर्ड के स्वशासी कार्यकरण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं ।

बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के निबंधन और सेवा की शर्तें ।

18. (1) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य, उस तारीख से, जिसको वे कार्यभार ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे, जिसे एक बार में तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, बढ़ाया जा सकेगा ।

(2) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व इस प्रकार पद ग्रहण कर रहे थे, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा प्रशासित होंगे ।

(3) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, जो केंद्रीय सरकार की सेवा में था, उस तारीख से, जिस तारीख को वह इस रूप में पद ग्रहण करता है, सेवा से निवृत्त हो गया समझा

जाएगा, परंतु अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उसकी पश्चात्वर्ती सेवा को उस सेवा में, जिससे वह संबंधित था, पेंशन के लिए अनुमोदित निरंतर सेवा के रूप में संगणित किया जाएगा ।

(4) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य,—

(क) इस रूप में पद पर रहने के दौरान या उसके पश्चात्, किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात संसूचित नहीं करेंगे या प्रकट नहीं करेंगे, जो इस रूप में कार्य करते समय उनके विचार या जानकारी में लाई गई हो ;

(ख) अपने कार्यकाल के दौरान और जिस तारीख से, जिसको वे पद ग्रहण करना छोड़ देते हैं, दो वर्ष की अवधि के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ, जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार दिया गया है, कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे ।

बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना ।

19. (1) बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य, कम से कम तीन मास पूर्व, केंद्रीय सरकार को संबोधित, अपने हाथ से लिखित सूचना देकर, अपना पद छोड़ सकेंगे ।

(2) केंद्रीय सरकार, बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा देगी,—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वल्लित है ;

(ग) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो ;

(घ) ऐसा वितीय या अन्य हित अर्जित किया हो जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना हो ; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकारक हो :

परन्तु किसी अध्यक्ष या सदस्य को खंड (घ) अथवा खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

बोर्ड की रिक्तियों को भरना ।

20. केन्द्रीय सरकार, बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण रिक्त हुए किसी पद को भरने के लिए तीन महीने के भीतर खोज-सह-चयन समिति को संदर्भ भेजेगी ।

बोर्ड की बैठकें ।

21. बोर्ड ऐसे समय और स्थान पर मिलेगा तथा अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जिसमें गणपूर्ति भी शामिल है, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

रिक्तियों, आदि के कारण बोर्ड की कार्रवाई को अविधिमान्य नहीं किया जाएगा ।

22. बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति अथवा उसके गठन में कोई दोष है ;

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई कमी है ; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करेगी ।

बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी ।

23. (1) बोर्ड, अपने कार्यों के कुशल निर्वहन और इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और

श्रेणियों का निर्धारण करेगा, जैसा वह आवश्यक समझे और केन्द्रीय सरकार, बोर्ड को ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, प्रोत्साहन, हक और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें ।

(3) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए उतने सलाहकारों या विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकेगा, जितने वह आवश्यक समझे ।

(4) अध्यक्ष, परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव रखने वाले बोर्ड के अधिकारियों में से एक को बोर्ड के सचिव के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा ।

(5) बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए तात्पर्यित, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 के खंड (28) के अनुसार लोक सेवक समझे जाएंगे।

2023 का 45

बोर्ड की शक्तियां और कार्य ।

24. (1) बोर्ड यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि विकिरण और नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कर्मचारियों, जनता और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है, ऐसे उपाय कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, बोर्ड को अनुसंधान केन्द्रों, शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, प्रयोगात्मक सुविधाओं, प्रशिक्षण सुविधाओं, तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता, परमाणु और विकिरण प्रौद्योगिकी से संबंधित विशेषज्ञता तथा संबंधित सुरक्षा पहलुओं तक पहुँच प्रदान कर सकेगी, जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो ।

(3) बोर्ड,—

(क) कर्मकारों और जनसाधारण को विकिरण अभिदर्शन की सीमाएं अधिसूचित करना तथा पर्यावरण में रेडियोएक्टिव उत्सर्जन एवं उन्मोचन की सीमाएं विनिर्दिष्ट करना ;

(ख) निम्नलिखित के लिए नीतियां और कार्यक्रम प्रकल्पित और उन्हें क्रियान्वित करना,—

(i) विकिरण सुरक्षा और परमाणु सुरक्षा, जिसमें सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा पहलू शामिल हैं ;

(ii) धारा 42 के अधीन सौंपे गए कारखानों के संबंध में कर्मकारों के उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य और सुरक्षा पहलू ;

(ग) निम्नलिखित के लिए सुरक्षा मानक और सुरक्षा संहिता तथा ऐसे अन्य विनियामक दस्तावेज तैयार करना,—

(i) परमाणु और विकिरण सुविधाओं की डिजाइन, स्थान निर्धारण, निर्माण, चालू करने, संचालन और बंद करने में सुरक्षा ;

(ii) गुणवत्ता आश्वासन, प्रबंधन प्रणाली, आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया, विकिरण संरक्षण और रेडियोएक्टिव अपशिष्ट प्रबंधन ;

(iii) रेडियोधर्मी पदार्थ या सामग्री के भंडारण और परिवहन में सुरक्षा ;

(iv) विहित पदार्थ या रेडियोएक्टिव पदार्थ को संभालने वाली सुविधाओं में

नियोजित अर्ह या प्रमाणित कर्मियों की अर्हता, प्रशिक्षण और मान्यता ;

(v) उपजीविकाजन्य कर्मकारों के लिए सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ जिसमें रोजगार-पूर्व और आवधिक चिकित्सा परीक्षण शामिल है ;

(vi) कोई अन्य मामला, जिसे बोर्ड आवश्यक समझे ;

(घ) अनुज्ञप्ति के निलंबन, उपांतरण, रद्दकरण या अवधि में कटौती के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करना ;

(ङ) निम्निलिखित के लिए विनियम विरचित करेगा ;

(i) परमाणु और विकिरण सुविधाओं तथा संबंधित गतिविधियों के जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान सुरक्षा प्राधिकार देने के लिए, जिसमें विकिरण उपस्कर के डिजाइन के लिए अनुमोदन, रेडियोएक्टिव अपशिष्टों के भंडारण, स्थानांतरण और निपटान के लिए प्राधिकरण, रेडियोएक्टिव परेषण के पैकेज और लदान का अनुमोदन शामिल है ;

(ii) किसी सुविधा में या उसके संबंध में, उन्हें सौंपे गए कृत्यों या कार्यों को पूरा करने के लिए व्यक्तियों की मान्यता और प्रमाणन करना,

और इसके कार्यान्वयन के लिए उप्युक्त तंत्र स्थापित करना ;

(च) परमाणु घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए मानदंड निर्दिष्ट करना और ऐसी परमाणु घटनाओं के घटित होने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, धारा 26 के अधीन ऐसी घटनाओं को अधिसूचित करने के लिए केंद्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें प्रदान करना ;

(छ) उन सभी स्थानों पर उच्च गुणवत्ता वाला सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित करना जहां परमाणु और विकिरण संबंधी गतिविधियां की जाती हैं ;

(ज) धारा 39 के अधीन प्रतिबंधित सूचना को प्रकट किए बिना परमाणु सुरक्षा से संबंधित मामलों पर योजनाबद्ध सार्वजनिक पहुंच और इच्छुक पक्षों के साथ संवाद के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करना ;

(झ) अपने उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में आधुनिक वैज्ञानिक क्षमताओं युक्त एक ज्ञान संगठन बनने का प्रयास करना;

(ञ) अपने कार्यों से सुसंगत क्षेत्रों में अनुसंधान की व्यवस्था करना या अनुसंधान करना तथा तकनीकी सहायता संगठनों के साथ सम्पर्क विकसित करना;

(ट) बोर्ड के कार्यों से सुसंगत गतिविधियों में लगे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्यक सरकारी अनुमोदन प्राप्त कर अन्योन्य क्रिया करना;

(ठ) अभिकरणों, संस्थानों, परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं को मान्यता देना;

(ड) निम्नलिखित के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना,—

(i) जनता और पर्यावरण की सुरक्षा ;

(ii) पर्यावरण की कोई विकिरण चिकित्सा विज्ञान संबंधी निगरानी ;

(iii) नाभिकीय और विकिरण आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी ;

(ढ़) अधिसूचना द्वारा, उसमें ऐसी विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी रेडियोएक्टिव सामग्री, रेडियोएक्टिव सामग्री के किसी वर्ग या वर्गों या किसी विकिरण उत्पन्न करने वाले संयंत्र को सुरक्षा प्राधिकरण की आवश्यकता से छूट दी जाएगी ;

(ण) संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, अभिकरणों, तकनीकी सहायता संगठनों, उद्योगों, विशेषज्ञों, व्यक्तिगत विशेषज्ञों और ईमानदारी तथा उत्कृष्ट योग्यता वाले वृत्तिकों के साथ लगा होना, जिनके पास वैज्ञानिक, तकनीकी, समाजशास्त्रीय, विधिक, सार्वजनिक संचार तथा नाभिकीय, विकिरण एवं औद्योगिक सुरक्षा से संबंधित ऐसे अन्य विषयों में विशेषज्ञता है ;

(त) किसी अन्य विनियामक या प्राधिकरण के साथ समन्वय करना और अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे विनियामक या प्राधिकरण के साथ सहमति ज्ञापन करना ;

(थ) क्षेत्र विशेषज्ञ वाली सलाहकारी या ऐसी दूसरी समितियां बनाना और सिवाय विनियमन विरचित करने या विनियमनकारी दस्तावेजों को जारी करने की शक्तियों के, समिति को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करना जो वह आवश्यक समझे ; और

(द) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कार्य करना, जैसा विहित किया जाए ।

(4) बोर्ड सुरक्षा प्राधिकरणों के धारकों और अन्य व्यक्तियों को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह सुरक्षा के हित में आवश्यक समझे ।

सामरिक प्रकृति के क्रियाकलापों का विनियमन ।

25. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 3 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए कतिपय क्रियाकलाप कर सकेगी और उक्त प्रयोजन के लिए, बोर्ड के प्राधिकार से किसी विहित पदार्थ या रेडियोएक्टिव पदार्थ या सुविधाओं तथा क्रियाकलापों को, साथ ही ऐसे पदार्थ, सुविधाओं या क्रियाकलापों से संबंधित परिसरों, आस्तियों और क्षेत्रों को छूट दे सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, या उन्नत नाभिकीय रिएक्टर की डिजाइन और विकास के लिए, आदेश द्वारा, सुरक्षा, संरक्षण, अनुज्ञप्ति और ऐसे अन्य मामलों से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कार्यों का निर्वहन करने के लिए एक या एक से अधिक नियामक निकायों का गठन कर सकेगी, जो ऐसे अधिकार क्षेत्र के संबंध में हों, जैसा कि उस आदेश में निर्दिष्ट किया जाए।

(3) उपधारा (2) के अधीन गठित विनियामक निकाय उपधारा (2) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सुविधाओं और क्रियाकलापों से अधिकृत सीमा से अधिक विकिरण या रेडियोएक्टिव सामग्री के उत्सर्जन की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देंगे।

(4) केन्द्रीय सरकार ऐसे उपाय कर सकेगी, जो लोकहित में आवश्यक और समीचीन समझे जाएं, जैसे—

(क) सभी विकिरण उद्भासन स्थिति से लोगों और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना ; और

(ख) रेडियोएक्टिव अपशिष्ट या अप्रयुक्त या लावारिस या विरासती विकिरण स्रोतों या आकस्मिक रेडियोधर्मी सामग्री का सुरक्षित निपटान ।

नाभिकीय घटना की अधिसूचना ।

26. धारा 24 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन बोर्ड से सिफारिशें प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार दस दिन की अवधि के भीतर परमाणु घटना को अधिसूचित करेगी :

परन्तु जहां केंद्रीय सरकार को संतुष्ट हो कि किसी नाभिकीय घटना में शामिल खतरे और जोखिम की गंभीरता नगण्य है, तो उसे ऐसी नाभिकीय घटना को अधिसूचित करने

की आवश्यकता नहीं होगी ।

बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजन और पुनर्विलोकन ।

27. (1) बोर्ड, आदेश द्वारा, अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या इसका कोई अधिकारी या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को, जो निदेशक के पद से नीचे का न हो, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपनी ऐसी शक्तियों और कार्यों को सौंप सकता है, सिवाय विनियमन बनाने और नियामक दस्तावेज तैयार करने की शक्ति के, जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य या अधिकारी के किसी आदेश या निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश या निर्णय के पुनरीक्षण के लिए बोर्ड को ऐसी रीति से आवेदन कर सकेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए ।

अध्याय 5

निरीक्षण, अन्वेषण, तलाशी और जब्ती

प्रवेश और निरीक्षण।

28. (1) केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति, जिसमें उनके अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं, सभी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं,—

(क) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई सुविधा या खान ;

(ख) कोई खान, परिसर, संयंत्र, सुविधा या भूमि या कोई वाहन, जलयान या वायुयान, जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कार्य निम्नलिखित प्रयोजन से या इनके संबंध में किया जा रहा है--

(i) किसी विहित पदार्थ, रेडियोएक्टिव पदार्थ या पदार्थों का उत्पादन और प्रसंस्करण जिससे विहित पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है ; या

(ii) परमाणु ऊर्जा का उत्पादन, विकास या उपयोग जिसमें किसी सुविधा के विहित उपस्कर, प्रणालियों, संरचनाओं और घटकों का विनिर्माण शामिल है ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों, इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों, जारी किए गए किसी निदेश या अनुज्ञप्ति और सुरक्षा प्राधिकरण की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और सत्यापन करने की रीति ऐसी होगी, जैसा विहित किया जाए ।

अन्वेषण का संचालन ।

29. (1) केन्द्रीय सरकार या बोर्ड,—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत ;

(ख) परमाणु या विकिरण चिकित्सा विज्ञान की घटना का घटित होना;

(ग) धारा 10 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन प्राप्त विवरणियों या रिपोर्टों का पुनर्विलोकन ; या

(घ) धारा 28 के अधीन किए गए निरीक्षण का निष्कर्ष,

का अन्वेषण कर सकेगी, जहां उसके पास यह मानने के युक्तियुक्त आधार हों कि—

(i) किसी अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकरण की शर्तों, या इस अधिनियम के किसी उपबंध, नियमों, विनियमों, या इसके अधीन जारी किए निदेशों का उल्लंघन हुआ है ; या

(ii) गतिविधियाँ बचाव, या सुरक्षा, रक्षोपाय के कार्यान्वयन के लिए हानिकारक रीति से संचालित की जा रही हैं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण के संचालन की रीति ऐसी होगी, जैसा विहित किया जाए।

(3) केन्द्रीय सरकार या बोर्ड इस धारा के अधीन निरीक्षण और अन्वेषण का व्यय यथास्थिति अनुज्ञप्तिधारी या सुरक्षा प्राधिकरण के धारक या अन्य व्यक्तियों से वहन करवा सकती है ।

खोज और जब्ती ।

30. (1) जहां केन्द्रीय सरकार या बोर्ड के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्तक आधार हैं कि—

(क) कोई व्यक्ति जिसे इस अध्याय के अधीन अपनी अभिरक्षा या शक्ति में किन्हीं पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों, अभिलेखों, आंकड़ों, संयंत्रों या सामग्री को पेश करना या पेश करवाना अपेक्षित है, वह ऐसा करने से लोप करेगा या असफल हो जाएगा अथवा उसने ऐसा करने का लोप किया है या असफल रहा है ;

(ख) किसी भी बही, रजिस्टर, दस्तावेज, रिकॉर्ड, आंकड़ा, संयंत्र या पदार्थ को बिगाड़ता है, परिवर्तित करता है, विकृत करता है, विनिर्माण करता है, जालसाजी करता है या नष्ट करता है ; या

(ग) इस अधिनियम के किसी उपबंध का किसी अनुज्ञप्तिधारी या सुरक्षा प्राधिकरण के धारक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया गया है या किए जाने की संभावना है,

वह अपने किसी अधिकारी को किसी स्थान, भवन या सुविधा में तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और खंड (क) में निर्दिष्ट ऐसी बहियों, रजिस्टरों, दस्तावेजों, रिकार्डों, आंकड़ों, संयत्र या पदार्थों को जब्त कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन तलाशी और जब्ती करने की रीति ऐसी होगी, जैसा विहित किया जाए ।

(3) तलाशी लेने वाला अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आने वाले किसी प्रयोजन से संबंधित सहायता के लिए, यथास्थिति, किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी अथवा दोनों की सेवाओं की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अपेक्षा का पालन करे ।

अन्वेषण, तलाशी या जब्ती के अनुसरण में की गई कार्रवाई ।

31. (1) इस अध्याय के अधीन अन्वेषण या तलाशी या जब्ती के समापन पर और सुरक्षा प्राधिकरण के धारक या ऐसे अन्य व्यक्ति को अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात, बोर्ड ऐसे उपाय कर सकेगा, जिन्हें सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुपालन को लागू करने के लिए और विकिरण के संपर्क में आने या रेडियोएक्टिव पदार्थों द्वारा संदूषण से व्यक्तियों को और अधिक क्षति होने या संपति या पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक समझा जाए ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपायों में निम्नलिखित शामिल होंगे,—

(क) उपस्कर, सुविधा, खान, संयंत्र, परिसर, स्थान, यान, जलयान, या वायुयान को सील करना ;

(ख) नियोजकों, कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों पर अपेक्षाएं, निषेध अथवा प्रतिबंध लगाना ;

(ग) अनुज्ञप्तिधारियों, सुरक्षा प्राधिकरण धारकों या अन्य व्यक्तियों को ऐसे निदेशों जारी करना, जिन्हें वह सुरक्षा के हित में आवश्यक समझे ;

(घ) सामग्री या उपस्कर को केन्द्रीय सरकार को सौंपने के लिए निर्देश जारी

करना ;

(ङ) यदि स्वामी की पहचान नहीं हो पाती है तो रेडियोएक्टिव सामग्री, उपस्कर, संयंत्र, सुविधा या खान को नियंत्रण में लेने के लिए केंद्रीय सरकार को सलाह देना ।

(च) किसी मान्यताप्राप्त प्रमाणित कार्मिकों की मान्यता या उसका प्रमाणन रद्द करना ।

(3) इस अध्याय के अधीन अन्वेषण, तलाशी या जब्ती के समापन पर और अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के पश्चात्, केंद्रीय सरकार को किसी भी परिसर को सील करने और किसी भी वस्तु को जब्त करने, रखने और निपटाने या किसी सामग्री या संयंत्र पर नियंत्रण करने की शक्ति होगी, यदि उसके पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि इस अधिनियम या किसी नियम, विनियमन, सुरक्षा उपायों या रक्षोपायों का उल्लंघन हुआ है।

(4) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार या बोर्ड लिखित आदेश द्वारा—

(क) अनुज्ञप्तिधारी या सुरक्षा प्राधिकरण के धारक या अन्य व्यक्ति को चेतावनी जारी करना, यदि कारोबार या गतिविधियों से अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकरण की शर्तों या इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन होने की संभावना हो ;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी या सुरक्षा प्राधिकरण धारक या अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि,—

(i) अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकरण की शर्तों या इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने या कराने से प्रविरत रहना और छोड़ देना ;

(ii) अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकरण या इस अधिनियम के उपबंधों की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने कारबार या क्रियाकलापों को उपांतरित करना ;

(iii) अन्वेषण से उत्पन्न किसी मामले के सम्बन्ध में ऐसी कोई कार्रवाई करना जिसे केन्द्रीय सरकार या बोर्ड ठीक समझे ;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी या सुरक्षा प्राधिकरण धारक या किसी अन्य व्यक्ति के कारबार या क्रियाकलापों को अस्थायी रूप से निलंबित या बंद करना, जो अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकरण की शर्तों या इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करते पाया जाए ;

(घ) धारा 8 के अनुसार किसी अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकरण की अवधि को उपांतरित, निलंबित, रद्द या कम करना ।

अध्याय 6

केंद्रीय सरकार की सामान्य शक्तियाँ और कार्य

केन्द्रीय सरकार की सामान्य शक्तियाँ और कार्य ।

32. (1) केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित को विरचित करने की शक्तियां होंगी,—

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अधीन तैयार की गई राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुरूप राष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा नीति ; 2003 का 36

(ख) सुरक्षा, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट प्रबंधन, सुरक्षा और रक्षोपायों के लिए राष्ट्रीय नीति ; और

(ग) खर्च किए गए ईंधन और रेडियोएक्टिव अपशिष्ट के लिए राष्ट्रीय नीति ;

(घ) सुविधाओं की क्वालिटी आश्वासन और क्वालिटी नियंत्रण के लिए नीति, जिसमें उनकी विनिर्माण और निर्माण शामिल है ; और

(ङ) ऐसी अन्य नीतियाँ, जो इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझी जाएँ ।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसी निधियों का सृजन कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाएं ।

(3) केन्द्रीय सरकार अपने अधीन निदेशालयों, खंडों और प्रभागों की स्थापना सहित ऐसे सभी कार्य कर सकेगी, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन अपने किसी शक्ति का प्रयोग करने या अपने किसी कार्य का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

(4) इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित गए किसी अन्य कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात :—

(क) उपधारा (1) के अधीन विरचित की गई नीतियों के लिए रणनीति तैयार करना तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करना ;

(ख) पर्यावरण निगरानी, कार्मिक निगरानी, डोसिमेट्री और विकिरण--चिकित्सा विज्ञान संबंधी सुरक्षा से संबंधित अन्य मामलों से संबंधित सेवाएं प्रदान करना ;

(ग) नाभिकीय और विकिरण--चिकित्सा विज्ञान आपात की तैयारी और प्रतिउत्तर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अभिकरणों को समन्वय करना और सहायता करना ।

कतिपय मामलों में अर्जन के अधिकार का निहित होना ।

33. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में अर्जन अधिकार अनन्य रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होंगे, अर्थात् :—

(क) कोई विहित पदार्थ ;

(ख) कोई खान या खनिज या सामग्री या ऐसी खान या खनिज पर काम करने का अधिकार जिससे केन्द्रीय सरकार की राय में कोई भी विहित पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है ;

(ग) कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ ;

(घ) कोई भी विहित उपस्कर ; या

(ङ) किसी भी संयंत्र को डिजाइन या अनुकूलित करने के लिए,—

(i) विहित पदार्थों या किसी खनिज का खनन या प्रसंस्करण जिससे विहित पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं ;

(ii) किसी विहित पदार्थ या रेडियोएक्टिव पदार्थ का उत्पादन या उपयोग ; अथवा

(iii) ऐसे पदार्थ का उत्पादन, उपयोग या निपटान जो नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग या निपटान के लिए या उससे संबंधित मामलों में अनुसंधान के लिए आवश्यक हो ।

(2) यदि किसी संयंत्र या किसी रिएक्टर को आगे चालू करने के पश्चात् या प्रारंभिक नाभिकीय ईंधन लोडिंग के पश्चात् कारण को ध्यान में न रखते हुए, किसी भी चरण में

छोड़ दिया जाता है, तो अर्जन के सभी अधिकार, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आस्तियों सहित, सभी अधिग्रहण अधिकार केंद्रीय सरकार में निहित होंगे ।

(3) इस धारा के अधीन अर्जन जिस रीति से किया जाएगा वह ऐसा होगा, जैसा कि विहित किया जाए ।

(4) इस धारा के अधीन अर्जन के संबंध में देय क्षतिपूर्ति धारा 36 के अनुसार निर्धारित और भुगतान किया जाएगा ।

(5) इस धारा के अधीन किसी खान या खनिज, सांद्र, अन्य सामग्री, पदार्थ, उपस्कर या संयंत्र का अधिग्रहण किसी भी उद्देश्य के लिए बिक्री नहीं माना जाएगा ।

(6) इस धारा के अधीन किसी नाभिकीय विद्युत संयंत्र या रिएक्टर के अधिग्रहण पर, केन्द्रीय सरकार ऐसे उपाय करेगी, जो आवश्यक हों, जैसे—

(क) संयंत्र का विकास और सुरक्षित संचालन ;

(ख) विहित पदार्थ का निपटान ;

(ग) व्ययित ईंधन प्रबंध ;

(घ) अपशिष्ट प्रबंध ; और

(ङ) संयंत्र को बंद करना, संदूषणमुक्त करना या विघटित करना और स्थान का सुधार कार्य,

और उपरोक्त किसी भी गतिविधि के लिए अनुज्ञप्तिधारी पर ऐसी लागत लगा सकता है, जैसा वह उचित समझे ।

कतिपय पदार्थों की अध्यापेक्षा ।

34. (1) केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे पदार्थ को, जिसमें उसकी राय में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या इनके किसी समस्थानिक या किसी अन्य स्रोत सामग्री या विखंडनीय सामग्री हो, उसे सौंपने की मांग कर सके और केन्द्रीय सरकार उस पदार्थ में से यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या इनके किसी समस्थानिक या उसमें विद्यमान ऐसे अन्य स्रोत सामग्री या विखंडनीय सामग्री को निकाल सके और धारा 36 के अनुसार निर्धारित क्षतिपूर्ति के भुगतान पर उस पदार्थ को संबंधित व्यक्ति को वापस कर सके ।

(2) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह उचित समझे, धारा 44 के अधीन अधिसूचित छूट प्राप्त मात्रा से अधिक प्राकृतिक यूरेनियम या थोरियम की अल्प मात्रा के उपयोग की अनुमति देने से नहीं रोकेगी, जिसे केन्द्रीय सरकार जांच, परीक्षण, विश्लेषण या किसी अन्य गैर-नाभिकीय अनुप्रयोगों के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ।

संविदाओं का नवीयन ।

35. (1) केन्द्रीय सरकार किसी संविदा के पक्षकारों को, जिसमें व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए संविदा नहीं है, निम्नलिखित से संबंधित तामील करा सकती है :—

(क) किसी ऐसे पदार्थ का पूर्वेक्षण या खनन जिससे यूरेनियम या थोरियम या अन्य विहित पदार्थ अभिप्राप्त किया जा सकता है ;

(ख) नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन या प्रयोग ; या

(ग) खंड (क) या खंड (ख) से संबंधित मामलों में अनुसंधान,

यह कथन करते हुए लिखित में एक सूचना, जिसमें ऐसी तारीख को, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी संविदा के किसी भी पक्षकारों के अधिकार और दायित्व केंद्रीय सरकार को अंतरित हो जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन तामील की गई सूचना में आक्षेप करने का समय और रीति विनिर्दिष्ट की जाएगी और केन्द्रीय सरकार आक्षेप करने वाले व्यक्ति को उपस्थित होने और इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी, जो मामले की सुनवाई करेगा और उस पर केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा वह उचित समझे ।

(4) उपधारा (1) के अधीन तामील की गई सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से और उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश के अधीन रहते हुए,—

(क) संविदा इस प्रकार संचालित होगी जैसे यदि केन्द्रीय सरकार उस व्यक्ति के स्थान पर ऐसे पक्षकार भी जिसके अधिकार और दायित्व उसे अंतरित किए गए हैं ; और

(ख) उस व्यक्ति के प्रति संविदा में प्रत्येक निर्देश, उस तारीख को या उसके पश्चात् प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों या उपगत दायित्वों के संबंध में, केन्द्रीय सरकार के प्रति निर्देश समझा जाएगा ।

(5) जहां किसी संविदा के किसी पक्षकार के अधिकार और दायित्व इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार को अन्तरित कर दिए जाते हैं, वहां उस पक्षकार को हुई किसी हानि के संबंध में प्रतिकर दिया जाएगा, जैसा कि उस पक्षकार और केन्द्रीय सरकार के बीच करार किया गया हो ।

अर्जन, अध्यपेक्षा, अधिग्रहण, निषेध आदि का अवधारण ।

36. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन खानों या खनिजों के कार्यकरण के किसी अधिकार के अर्जन या किसी खनिज, सांद्र, अन्य सामग्री, उपस्कर या संयंत्र या खान के अर्जन या अध्यपेक्षा या खनिजों की खोज से संबंधित कार्यों पर लगाए गए प्रतिषेधों या शर्तों के लिए कोई प्रतिकर देय है, वहां केंद्रीय सरकार ऐसे प्रतिकर की राशि की अवधारणा करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देगी—

(क) धारा 3 की उपधारा (5) के खंड (घ) के अधीन यूरेनियम या थोरियम की खोज के प्रयोजन के लिए देय प्रतिकर की दशा में, —

(i) किये गए कार्य की प्रकृति ;

(ii) ऐसी खोज की रीति, विस्तार और अवधि ;

(iii) ऐसी खोज के स्थल पर स्थित भूमि और संपत्ति के किराये में कमी, जो किसी भी अवधि में उचित रूप से अपेक्षित हो सकती है ; या

(iv) ऐसी खोज की तारीख को भूमि और संपत्ति के बाजार मूल्य में कमी ;

(ख) धारा 33 या धारा 34 के अधीन किसी संयंत्र, खान, पदार्थ या उपस्कर के अनिवार्य अर्जन या अध्यपेक्षा के लिए देय प्रतिकर की दशा में, वह कीमत जो स्वामी द्वारा अधिग्रहण या अध्यपेक्षा की तारीख से ठीक पूर्व उसके द्वारा की गई संपत्ति के विक्रय पर प्राप्त करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती हो ;

(ग) जहां प्रतिकर की रकम किसी करार द्वारा नियत की गई है, वहां उसका संदाय ऐसे करार के अनुसार किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी पदार्थ या सामग्री में अंतर्विष्ट यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या

उनके किसी समस्थानिक का मूल्य, जिसमें परिवहन की लागत भी सम्मिलित है, प्रतिकर का हिस्सा नहीं होगा ;

(ख) मूल्य, पदार्थ के उत्पादन, खनन या किरणन में व्यक्ति द्वारा किए गए व्यय से अधिक नहीं होगा ।

विद्युत के संबंध में विशेष उपबंध ।

37. (1) विद्युत अधिनियम, 2003 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रूप में ऐसे मानदंडों और क्रियाविधियों पर आधारित नाभिकीय ऊर्जा योजना से विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ नियत करेगी । 2003 का 36

(2) उपधारा (1) के अधीन मानदंडों और क्रियाविधि को विनिर्दिष्ट करते समय, केन्द्रीय सरकार ईंधन की लागत, व्ययित ईंधन प्रबंधन की लागत, बंद की गई लागत और ऐसी अन्य सेवाओं या कारकों को ध्यान में रखेगी, जिन्हें आवश्यक समझा जाए ।

आविष्कारों के लिए विशेष उपबंध ।

38. (1) केन्द्रीय सरकार उन आविष्कारों के लिए पेटेंट प्रदान कर सकेगी जो उसकी राय में नाभिकीय ऊर्जा और विकिरण के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए हैं :

परंतु धारा 3 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों से संबंधित आविष्कार या जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय संवेदी प्रकृति की है या राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी निहितार्थ वाले आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं होंगे और ऐसे आविष्कार केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए या गर्भहित समझे जाएंगे।

(2) इस धारा के अधीन किसी आविष्कार के संबंध में पेटेंट अभिप्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन नियंत्रक को आवेदन करेगा । 1970 का 39

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई आविष्कार धारा 3 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किन्हीं क्रियाकलापों से संबंधित है या संवेदी प्रकृति का है या राष्ट्रीय सुरक्षा की विवक्षा में है, नियंत्रक उस पर निदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट करेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन किसी पेटेंट आवेदन के संबंध में नियंत्रक को निदेश जारी कर सकेगी ।

(5) कोई भी व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके द्वारा किया गया कोई आविष्कार नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है, उसे किसी तीसरे पक्ष को प्रकट करने से पहले केन्द्रीय सरकार को उसकी प्रकृति और विवरण के बारे में सूचित करना होगा ।

(6) भारत के बाहर पेटेंट के लिए कोई भी आवेदन पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 39 द्वारा शासित होगा । 1970 का 39

(7) केन्द्रीय सरकार को किसी भी समय किसी लंबित पेटेंट आवेदन और विनिर्देश का उसके स्वीकृत होने से पूर्व निरीक्षण करने की शक्ति होगी और यदि वह समझती है कि आविष्कार उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है, तो वह उस आधार पर आवेदन को अस्वीकार करने के लिए नियंत्रक को निदेश जारी कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "नियंत्रक" से पेटेंट अधिनियम, 1970 के अर्थ में पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक अभिप्रेत है । 1970 का 39

प्रतिबंधित सूचना ।

39. (1) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसी सूचना की घोषणा करेगी, जो लोकाधिकारी क्षेत्र में नहीं है तथा निम्नलिखित से संबंधित जिसकी राय में राष्ट्रीय सुरक्षा या लोकहित अहितकर है, जैसा कि सूचना प्रतिबंधित की गई हो, अर्थात् :—

(i) विहित पदार्थ का स्थान, गुणवत्ता और मात्रा और उनके अधिग्रहण के लिए

संव्यवहार, चाहे क्रय द्वारा हो या अन्यथा, या निपटान, चाहे विक्रय द्वारा हो या अन्यथा द्वारा हो ;

(ii) विहित पदार्थों का प्रसंस्करण और उनसे विखंडनीय पदार्थों का निष्कर्षण या उत्पादन ;

(iii) किसी विहित पदार्थ के उपचार और उत्पादन तथा उसके समस्थानिकों के पृथक्करण के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र या रिएक्टर या संयंत्रों का सिद्धांत, डिजाइन, उपवेशन, निर्माण और प्रचालन ;

(iv) इस उपधारा के अंतर्गत आने वाली मदों में सम्मिलित या उनसे व्युत्पन्न सामग्रियों और प्रक्रियाओं पर अनुसंधान और प्रौद्योगिकीय कार्य ;

(v) बोर्ड या अन्य विनियामक निकायों को उनके कार्य के दौरान उपलब्ध कराई गई प्रस्तुतियां, जिन्हें आवेदक द्वारा व्यावसायिक प्रयोजन के लिए रणनीतिक, संवेदनशील या गोपनीय घोषित किया गया हो ; और

(vi) धारा 38 की उपधारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट सभी क्रियाकलाप,

चाहे वह किसी दस्तावेज, रेखाचित्र, फोटोग्राफ, योजना, मॉडल या किसी अन्य रूप में अंतर्विष्ट हो, जो निम्नलिखित से संबंधित हो, प्रतिनिधित्व करता हो या चित्रित करता हो—

(i) नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन, विकास या प्रयोग के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित कोई विद्यमान या प्रस्तावित संयंत्र ; या

(ii) किसी ऐसे विद्यमान या प्रस्तावित संयंत्र के प्रचालन का प्रयोजन या विधि ; या

(iii) ऐसे विद्यमान या प्रस्तावित संयंत्र में प्रचालित या प्रस्तावित किये जाने के लिए प्रस्तावित कोई प्रक्रिया ।

(2) कोई भी व्यक्ति—

(क) किसी प्रतिबंधित सूचना का प्रकटीकरण करना, उसे अभिप्राप्त नहीं करेगी या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा ; या

(ख) केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के बिना, इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य के निर्वहन या पदीय कर्तव्यों के पालन में प्राप्त किसी सूचना को प्रकट करना ।

(3) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी रूप में प्रतिबंधित जानकारी या कोई अन्य जानकारी जो इसमें निर्दिष्ट की जा सकती है, प्रकाशन पर प्रतिषिद्ध कर सकती है ।

2005 का 22

(4) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन प्रतिबंधित या प्रतिषिद्ध घोषित सूचना को उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रकटीकरण से वर्जित किया जाएगा ।

प्रतिषिद्ध क्षेत्र ।

40. केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा,—

(क) किसी परिसर को प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित करना जहां नाभिकीय ऊर्जा या किसी विहित पदार्थ के उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रयोग, आवेदन या निपटान के संबंध में अनुसंधान, डिजाइन या विकास सहित कार्य किया जाता है ;

(ख) (i) किसी व्यक्ति का, बिना अनुमति अभिप्राप्त किए, किसी प्रतिषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश प्रतिषिद्ध किया जाएगा ; या

(ii) किसी व्यक्ति को बिना अनुमति के किसी प्रतिषिद्ध क्षेत्र से कोई फोटोग्राफ, रेखाचित्र, चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र या अन्य दस्तावेज ले जाने से प्रतिषिद्ध किया जाएगा और यदि कोई अनुमति दी जाती है तो वह ऐसी शर्तों के अधीन होगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे ।

सामग्रियों, सुविधाओं या प्रसंस्करण संबंधी सूचना प्राप्त करने की शक्ति ।

41. केन्द्रीय सरकार, लिखित सूचना द्वारा, किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसे आवधिक और अन्य विवरणियां या कथन ऐसे समय पर प्रस्तुत करे और उनमें ऐसे विशिष्टियां अंतर्विष्ट हों तथा उनके साथ ऐसे योजना, रेखाचित्र और अन्य दस्तावेज हों, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, जो निम्नलिखित से संबंधित हों—

(क) ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व या अधिभोग में किसी भूमि या खान के कब्जे या नियंत्रण में या उसमें या उस पर विद्यमान कोई विहित पदार्थ, जो केन्द्रीय सरकार की राय में विहित पदार्थों में से किसी का स्रोत है या हो सकता है, जिसके अंतर्गत ऐसी किसी भूमि या खान के संबंध में विवरणी हो ;

(ख) उसके कब्जे या उसके नियंत्रण के अधीन कोई सुविधा जो खनिजों के खनन या प्रसंस्करण के लिए डिजाइन की गई हो, या परमाणु ऊर्जा के उत्पादन या प्रयोग या उससे संबंधित मामलों में अनुसंधान के लिए अनुकूलित हो ;

(ग) खनिजों के पूर्वेक्षण या खनन या नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन या प्रयोग या उससे संबंधित विषयों में अनुसंधान के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई अनुबंध या उसके द्वारा प्रदान की गई कोई अनुज्ञप्ति ;

(घ) ऐसे व्यक्ति के कब्जे से ऐसी कोई जानकारी जो ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से या उसके निर्देशों के अधीन, इस प्रकार विनिर्दिष्ट खनिजों के पूर्वेक्षण या खनन या नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन या प्रयोग या उससे संबंधित विषयों में अनुसंधान के संबंध में किए गए किसी कार्य के लिए हो ; और

(ङ) कोई अन्य सूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ।

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 ।

42. उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियम को प्रशासित करने और इसके उपबंधों के प्रवर्तन के लिए सभी कार्य करने का प्राधिकार, जिसमें निरीक्षण स्टाफ की नियुक्ति और उसके अधीन नियम बनाना भी सम्मिलित है, केन्द्रीय सरकार में उसके स्वामित्व वाले किसी कंपनी से संबंधित कारखाने या उसके पूर्ण स्वामित्व या नियंत्रण वाली और इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने में लगी किसी कंपनी के संबंध में निहित होगा : 2020 का 37

परंतु केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा उस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति के सिवाय, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के उपबंधों को प्रशासित करने के लिए प्राधिकरण बोर्ड को प्रत्यायोजित करेगी । 2020 का 37

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

43. केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग या निष्पादित की जाने वाली शक्ति या कृत्य, ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जिन्हें वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे, उसके द्वारा भी प्रयोग या निष्पादित की जाएगी—

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ; या

(ख) ऐसी राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसा अधिकारी या

प्राधिकारी,

निदेशक के पद से अन्यून हो, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

छूट की शक्ति ।

44. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा, और उसमें विनिर्दिष्ट कारणों से, किसी संयंत्र, सुविधाओं, विहित पदार्थ या विहित पदार्थ की मात्रा या विहित उपकरण और प्रौद्योगिकी को अनुज्ञप्ति या दायित्व या इस अधिनियम के किसी उपबंध की अपेक्षाओं से छूट दे सकेगी, यदि उसकी राय है कि इसमें अंतर्वलित जोखिम नगण्य है।

निर्देश जारी करने की शक्ति ।

45. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, किसी अनुज्ञप्तिधारी या किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे साधारणतया या विशिष्टतः, ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे और ऐसा प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी या व्यक्ति ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने अनुज्ञप्तिधारी या संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया हो।

आपातकालीन शक्तियां ।

46. (1) संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, केन्द्रीय सरकार,—

(क) बिना सीमा के नाभिकीय और रेडिएशन सुविधा, सामग्रियों, उपस्कर और संबंधित उत्पादों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए प्राधिकार होना ;

(ख) ऐसे उपाय करना, जो वह इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार की कार्रवाई से प्रभावित कोई व्यक्ति धारा 36 के अधीन अवधारित प्रतिकर का हकदार होगा ।

अध्याय 7

आवेदनों और अपीलों का पुनर्विलोकन

परमाणु ऊर्जा निवारण सलाह परिषद् की स्थापना ।

47. (1) ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, एक परिषद् स्थापित की जाएगी जिसे परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद् के नाम से जाना जाएगा।

(2) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य, पदेन, होंगे, अर्थात्:—

(क) परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष - अध्यक्ष ;

(ख) निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र-सदस्य ;

(ग) अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड-सदस्य ; और

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का अध्यक्ष-सदस्य।

(3) परिषद् ऐसी अवधि और शर्तों के अधीन उनके विशेषज्ञ की सलाह के लिए परिषद् की बैठक कराने के लिए तीन से अनधिक तकनीकी विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी, जो विहित की जाए ।

(4) परिषद् ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी, जिनमें गणपूर्ति भी सम्मिलित है, जैसा कि विहित किया जाए ।

परिषद् द्वारा विवादों का निवारण ।

48. (1) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी या सुरक्षा प्राधिकार धारक या कोई भी व्यक्ति जो धारा 37 के अधीन टैरिफ को नियत करने सहित इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार या बोर्ड के आदेश या विनिश्चय से व्यथित है, परिषद् को पुनर्विलोकन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(2) परिषद्,—

(क) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन की समीक्षा करना तथा लिखित आदेश द्वारा विवादों में पुन: सुलह और निपटान को सुकर बनाना ;

(ख) बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी मामले या शिकायत की समीक्षा करना, जिससे अवधारित करने के लिए यदि कार्य या चूक धारा 74 के अधीन शिकायत के प्रयोजन के लिए उपयुक्त मामला है और लिखित में आदेश पारित करना ;

(ग) प्रतिकर से संबंधित मामलों के अतिरिक्त कोई अन्य मामला, जिसके निवारण की अपेक्षा हो ।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, परिषद् उल्लंघन के महत्व और बार-बार होने की प्रकृति, या जानबूझकर किए गए अतिक्रमण या जानबूझकर किए गए अतिक्रमण के कारण हुई क्षति की गंभीरता को ध्यान में रखेगी ।

अपील अधिकरण ।

49. (1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 110 के अधीन स्थापित विद्युत अपील अधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील अधिकरण होगा । 2003 का 36

(2) अपील अधिकरण,—

(क) धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई किसी अपील की सुनवाई कर सकता है और निपटान कर सकता है ;

(ख) कोई अन्य मामला, जो अपील अधिकरण के क्षेत्राधिकार में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

अपील अधिकरण के तकनीकी सदस्य ।

50. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, विद्युत अपील अधिकरण में, अपनी विद्यमान संरचना के अतिरिक्त, दो से अनधिक तकनीकी सदस्यों की ऐसी संख्या होगी, जिन्हें तकनीकी सदस्य (परमाणु ऊर्जा) के रूप में जाना जाएगा, जिनके पास नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित विषयों में विशेषज्ञता होगी और जो ऐसे पद के होंगे, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(2) तकनीकी सदस्य (परमाणु ऊर्जा) की नियुक्ति खोज-सह-चयन समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल में से ऐसी संरचना और ऐसी रीति से की जाएगी, जो विहित की जाए।

(3) तकनीकी सदस्य (परमाणु ऊर्जा) की पदावधि, उन्हें देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें वही होंगी जो अपील अधिकरण के अन्य सदस्यों पर लागू हैं।

अपील ।

51. (1) धारा 48 के अधीन परिषद् के आदेश या धारा 70 के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति से व्यथित कोई व्यक्ति, अपील अधिकरण के समक्ष ऐसे प्ररूप और रीति से तथा ऐसी फीस के साथ अपील फाइल कर सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए।

(2) अपील अधिकरण में कोई भी अपील उस तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी, जिसको उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश की प्रति अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त

होती है :

परन्तु अपील अधिकरण उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील पर विचार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि विहित अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण था ।

(3) इस धारा के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर अपील अधिकरण पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(4) अपील अधिकरण अपने द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति, यथास्थिति, पक्षकारों को तथा परिषद् या न्यायनिर्णायक अधिकारी को भेजेगा ।

(5) अपील अधिकरण, इस धारा के अधीन किसी अपील की समीक्षा करने के प्रयोजनों के लिए, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, ऐसी अपील के निपटान के लिए सुसंगत अभिलेख मंगा सकेगा ।

उच्चतम न्यायालय को अपीलें ।

52. अपील अधिकरण के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी सूचना प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल कर सकता है :

परन्तु यदि उच्चतम न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से समय पर अपील करने से रोका गया था, तो वह उक्त साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील पर विचार कर सकेगा ।

अध्याय 8

नाभिकीय क्षति के लिए प्रतिकर

नाभिकीय क्षति के दावों हेतु राज्यक्षेत्र अधिकारिता ।

53. नाभिकीय क्षति के लिए किसी भी प्रतिकर का दावा किया जा सकता है, यदि नाभिकीय क्षति,—

(क) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर हुई है ;

(ख) भारत के प्रादेशिक जल से परे समुद्री क्षेत्रों में या उसके ऊपर हुई है,

1958 का 44

(i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी जहाज द्वारा हुई है ; या

2024 का 16

(ii) भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान द्वारा हुई है ; या

(iii) भारत गणराज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी कृत्रिम द्वीप, स्थापना या संरचना पर हुई है ; या

(ग) राज्यक्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 7 के अर्थ के भीतर भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में या उसके ऊपर या भारत के महाद्वीपीय मग्नतट पर हुई है ; या

1976 का 80

(घ) भारत में किसी नाभिकीय घटना के परिणामस्वरूप विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्र में, यदि ऐसी नाभिकीय घटना के समय, विदेशी राज्य,—

(i) उसके राज्यक्षेत्र या उसके समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार कोई नाभिकीय प्रतिष्ठान स्थापित नहीं है ; या

(ii) सिविल नाभिकीय दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों में से किसी

एक का पक्षकार है ।

दावा आयुक्त ।

54. (1) जो कोई नाभिकीय क्षति उठाता है, वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर का दावा करने का हकदार होगा।

(2) नाभिकीय क्षति के संबंध में प्रतिकर के दावों पर न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार धारा 26 के अधीन नाभिकीय घटना की अधिसूचना की तारीख से तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर, अधिसूचना द्वारा, भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून एक या अधिक अधिकारियों को, ऐसे क्षेत्र के लिए दावा आयुक्त के रूप में, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, पदाभिहित करेगी।

दावों के लिए आमंत्रित आवेदन।

55. धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन नाभिकीय घटना की अधिसूचना पर, क्षेत्र के लिए पदाभिहित दावा आयुक्त, नाभिकीय क्षति के प्रतिकर के दावे हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए ऐसी रीति से व्यापक जांच कराएगा जैसा उचित समझा जाए।

नाभिकीय क्षति दावा आयोग की स्थापना ।

56. जहां केन्द्रीय सरकार, नाभिकीय क्षति की सीमा और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, उसकी यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि ऐसी क्षति के दावों का न्यायनिर्णयन दावा आयुक्त के बदले दावा आयोग द्वारा किया जाए, तो वह अधिसूचना द्वारा, ऐसे न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए एक दावा आयोग की स्थापना कर सकेगी जिसे नाभिकीय क्षति दावा आयोग कहा जाएगा ।

दावा आयोग की संरचना ।

57. (1) दावा आयोग में एक अध्यक्ष और छह से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे ।

(2) दावा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक खोज-सह-चयन समिति में की जाएगी, जिसमें नाभिकीय विज्ञान में कम से कम तीस वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से तीन विशेषज्ञ और उच्चतम न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश सम्मिलित होंगे ।

(3) कोई भी व्यक्ति दावा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो :

परन्तु यह कि किसी आसीन न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात् ही की जाएगी ।

(4) कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति,—

(क) भारत सरकार में अपर सचिव या किसी अन्य समतुल्य पद पर कार्य कर चुका है या कर रहा है तथा विधि का विशेष ज्ञान रखता है ; या

(ख) पांच वर्षों तक दावा आयुक्त रहा हो ।

दावा आयुक्त के अध्यक्ष की शक्तियां ।

58. दावा आयुक्त के अध्यक्ष के पास अधीक्षण करने और साधारण प्रशासन की शक्तियां होंगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जाए ।

दावा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें ।

59. (1) दावा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए उस रूप में पद धारण करेगा और तीन वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु कोई व्यक्ति उसके सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष या

सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) दावा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं:

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से ठीक पूर्व, यदि—

(क) केंद्रीय सरकार की सेवा में था, उस तारीख को, जिसको वह उस रूप में पद ग्रहण करता है, सेवा से निवृत्त हुआ समझा जाएगा, किंतु अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी पश्चातवर्ती सेवा की संगणना उस सेवा में, जिससे वह संबंधित है, पेंशन के लिए निरंतर अनुमोदित सेवा के रूप में गणना की जाएगी ;

(ख) भारत सरकार के अधीन किसी पूर्ववर्ती सेवा के संबंध में नि:शक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न कोई पेंशन प्राप्त कर रहा था या जिसने ऐसा करने के लिए पात्र होते हुए उसे लेने का विकल्प दिया था, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से,—

(i) उस पेंशन की रकम; और

(ii) यदि वह पद ग्रहण करने से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में उसकी देय पेंशन के एक भाग के रूप में उसके संराशित मूल्य को प्राप्त कर रहा था, तो पेंशन के उस भाग की रकम को,

घटा दिया जाएगा ।

(4) दावा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य,—

(क) पद धारण करते समय, किसी मामले में मध्यस्थ या मध्यक के रूप में कार्य नहीं करेगा ;

(ख) पद धारण न करने पर दावा आयोग के समक्ष उपसंजात नहीं होगा, कार्य या अभिवाक् नहीं करेगा ।

दावा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पदत्याग और हटाया जाना ।

60. (1) दावा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, केंद्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित में पूर्व सूचना द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा:

परंतु अध्यक्ष या सदस्य, शीघ्र पद त्याग करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात किए जाने तक, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की समाप्ति तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण करने तक या उनकी पदावधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करता रहेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, दावा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को जो,—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

(ग) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है;

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) जिसने उनकी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद

पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है :

परंतु किसी सदस्य को खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक ऐसे सदस्य को मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

दावा आयोग की रिक्तियों का भरा जाना ।

61. केंद्रीय सरकार, दावा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, पदत्याग और हटाए जाने के कारण किसी रिक्ति के होने की तारीख से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगी और दावा आयोग के समक्ष कार्यवाहियां उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकेंगी जिस पर रिक्ति भरे जाने से पूर्व वह थी ।

दावा आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

62.(1) केंद्रीय सरकार, दावा आयोग को ऐसे अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने वह ठीक समझे ।

(2) दावा आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

दावा आयोग को प्रतिकर के लिए आवेदन और लंबित मामलों का अंतरण ।

63. (1) धारा 56 के अधीन दावा आयोग की स्थापना पर, प्रत्येक आवेदन नाभिकीय नुकसान के लिए प्रतिकर दावा आयोग को किया जाएगा और धारा 56 के अधीन दावा आयेाग की स्थापना की तारीख से ठीक पहले किसी दावा आयुक्त के समक्ष लंबित प्रतिकर के लिए प्रत्येक आवेदन उस तारीख को दावा आयोग को अंतरित हो जाएगा और ऐसे अंतरण पर, दावा आयुक्त,—

(क) दावा आयोग को अंतरित दावों से संबंधित सभी अभिलेख दस्तावेज, साक्ष्य, रजिस्टर, अनुलिपि और कोई अन्य सामग्री प्रस्तुत करेगा ;

(ख) दावा आयोग को ऐसी सहायता और सहयोग प्रदान करेगा जैसा कि उसके द्वारा अनुरोध किया जाए ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाए जाएंगे कि दावों के अंतरण से किसी भी पक्ष को देरी या प्रतिकूल परिणाम न हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दावा आयोग को मामलों के अंतरण पर, दावा आयोग ऐसे आवेदनों की उस प्रक्रम से सुनवाई करेगा, जिस पर वह ऐसे अंतरण से पूर्व था ।

(3) दावा आयोग को प्रतिकर के लिए दावों का अंतरण इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि—

(क) ऐसे अंतरण से पूर्व दावा आयुक्त द्वारा विधिमान्य रुप से संचालित कार्यवाही को अविधिमान्य कर दे ; या

(ख) किसी विधिक अधिकार, बाध्यताओं या दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा जो दावा आयोग द्वारा किए गए किसी अधिनिर्णय या आदेश के अधीन पहले से प्रोद्भूत हो चुके हैं ।

(4) अध्यक्ष, दावों की सुनवाई के प्रयोजन के लिए तीन से अनधिक सदस्यों वाली दावा आयोग की न्यायपीठों का गठन कर सकेगा और उस पर कोई विनिश्चय ऐसे दावों की सुनवाई करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा ।

नाभिकीय नुकसान की बाबत प्रतिकर के लिए आवेदन ।

64. (1) नाभिकीय नुकसान की बाबत, दावा आयुक्त या दावा आयोग के समक्ष प्रतिकर के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा,—

(क) ऐसा व्यक्ति, जिसे क्षति पहुंची है;

(ख) ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी है, जिसको नुकसान हुआ है;

(ग) मृतक के विधिक प्रतिनिधि; या

(घ) खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अभिकर्ता ।

(2) दावा आयुक्त या दावा आयोग के समक्ष प्रतिकर के लिए प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप में और रीति में किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(3) प्रतिकर के लिए प्रत्येक आवेदन, ऐसे नुकसान को उठाने वाले व्यक्ति द्वारा नाभिकीय नुकसान की जानकारी की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

दावों के लिए न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया ।

65. (1) इस अधिनियम के अधीन नाभिकीय नुकसान के लिए दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए दावा आयुक्त और दावा आयोग ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जो विहित की जाए ।

(2) जांच करने के प्रयोजन के लिए, दावा आयुक्त और दावा आयोग नाभिकीय क्षेत्र में विशेषज्ञों या ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो वह ठीक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और ऐसे पारिश्रमिक, फीस या भत्ते के संदाय पर, जो विहित की जाए, सहयोजित कर सकेगा ।

(3) दावा आयुक्त और दावा आयोग को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियों की अध्यपेक्षा करना ;

(ङ) किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(च) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

1908 का 5

(4) दावा आयुक्त और दावा आयोग सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा, किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, दावा आयुक्त और दावा आयोग को उन स्थानों और समय सहित, जहां पर वह अपनी बैठकें करेगा, अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

2023 का 46

(5) दावा आयुक्त और दावा आयोग को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 215 और अध्याय 15 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

2023 का 45

(6) इस अधिनियम के अधीन दावा आयुक्त या दावा आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 229, धारा 257 और धारा 267 के अर्थ के भीतर और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी ।

प्रतिकर का अधिनिर्णय ।

66. (1) इस अध्याय के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, दावा आयुक्त या दावा आयोग प्रचालक को ऐसे आवेदन की सूचना देने और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसी प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा करेगा और तदनुसार अधिनिर्णय देगा ।

(2) इस धारा के अधीन अधिनिर्णय करते समय, दावा आयुक्त या दावा आयोग आवेदक द्वारा स्वयं या अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए या अन्यथा लिए गए नियोजन या संविदा या बीमा के अनुसरण में आवेदक द्वारा प्राप्त किसी फायदे, प्रतिपूर्ति या रकम पर विचार नहीं करेगा ।

(3) जहां किसी प्रचालक के अधिनिर्णय की रकम के उसके द्वारा संदाय से बचने के उद्देश्य से अपनी संपत्ति को हटाने या व्ययन करने की संभावना है, वहां दावा आयुक्त या दावा आयोग, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश 39 के नियम 1 से नियम 4 के उपबंधों के अनुसार ऐसे कार्य को अवरुद्ध करने के लिए अस्थायी व्यादेश अनुदत्त कर सकेगा । 1908 का 5

(4) दावा आयुक्त और दावा आयोग, अधिनिर्णय की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर पक्षकारों को अधिनिर्णय की प्रतियां जिसके अंतर्गत डिजिटल प्रतियां भी है, परिदत्त करना कारित करेगा ।

(5) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा ।

दावा करने के अधिकारों का निर्वापन ।

67. किसी नाभिकीय नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा करने का अधिकार समाप्त होगा, यदि ऐसा दावा धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन नाभिकीय घटना की अधिसूचना की तारीख से—

(क) संपत्ति के नुकसान के मामले में दस वर्ष ;

(ख) किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत क्षति की दशा में बीस वर्ष

की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है :

परंतु जहां किसी नाभिकीय घटना द्वारा हुए नाभिकीय नुकसान को, जिसमें नाभिकीय पदार्थ अंतर्वलित है, ऐसी नाभिकीय घटना से पूर्व चुराया गया है, या वह खो गया है या माल प्रक्षेपण या उसका परित्याग किया गया है तो दस वर्ष की उक्त अवधि ऐसी नाभिकीय घटना की तारीख से पूर्णतया लागू नहीं होगी, किंतु किसी भी दशा में, वह ऐसी चोरी, हानि, माल प्रक्षेपण या परित्याग की तारीख से बीस वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी ।

अधिनिर्णयों का प्रवर्तन ।

68. (1) जब इस अधिनियम के अधीन दावा आयुक्त या दावा आयोग द्वारा कोई अधिनिर्णय दिया जाता है तब,—

(क) बीमाकर्ता या कोई व्यक्ति, जो बीमा की संविदा या वित्तीय प्रतिभूति के अधीन ऐसे अधिनिर्णय के निबंधनानुसार किसी रकम का संदाय करने के लिए अपेक्षित है और ऐसी संविदा के अधीन अपने दायित्व के विस्तार तक ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो दावा आयुक्त या दावा आयोग निदेश दे, वह रकम जमा करेगा; और

(ख) प्रचालक दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दायित्व की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, शेष ऐसी रकम जमा करेगा, जिससे ऐसा अधिनिर्णय खंड (क) के अधीन जमा की गई रकम से अधिक है ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट बीमाकर्ता या प्रचालक या कोई व्यक्ति अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिनिर्णय की रकम जमा कराने में असफल रहता है, वहां ऐसी रकम, यथास्थिति, ऐसे बीमाकर्ता या प्रचालक या व्यक्ति से भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जमा की गई रकम ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जमा किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संवितरित की जाएगी ।

कतिपय परिस्थितियों में दावा आयोग का विघटन ।

69. (1) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि वह प्रयोजन, जिसके लिए दावा आयोग स्थापित किया गया था, पूरा हो गया है या जहां ऐसे दावा आयोग के समक्ष लंबित मामलों की संख्या इतनी कम है कि वह उसके निरंतर कार्य करने के खर्च को न्यायोचित नहीं ठहराएगी या जहां वह ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है, वहां केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा दावा आयोग को विघटित कर सकेगी ।

(2) दावा आयोग के विघटन से,—

(क) ऐसे विघटन की तारीख को दावा आयोग के समक्ष लंबित कार्यवाहियां, यदि कोई हो, दावा आयुक्त को अंतरित हो जाएगी ;

(ख) दावा आयोग के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा उस रूप में अपने पद रिक्त कर दिए गए समझे जाएंगे और वे अपने पद के समयपूर्व पर्यवसान के लिए किसी प्रतिकर के हकदार नहीं होंगे ;

(ग) दावा आयोग की सभी आस्तियां और दायित्व, केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएंगे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दावा आयोग के विघटन के होते हुए भी, ऐसे विघटन से पूर्व की गई कोई बात या की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत ऐसे विघटन से पूर्व दावा आयोग द्वारा किया गया कोई आदेश या जारी की गई कोई सूचना या की गई कोई नियुक्ति, पुष्टि या घोषणा या निष्पादित किया गया कोई दस्तावेज या लिखत या दिया गया कोई निदेश इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य रूप से की गई या किया गया या दिया गया समझा जाएगा ।

अध्याय 9

अपराध और शास्तियां

शास्तियां ।

70. (1) यदि केंद्रीय सरकार या बोर्ड धारा 29 के अधीन अन्वेषण के समापन पर अवधारण करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा भंग या उल्लंघन किया गया है, तो,—

(क) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का ; या

(ख) अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकरण के निबंधन और शर्तों का ; या

(ग) तदधीन जारी किया गया कोई आदेश,—

(i) धारा 5 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक ; या

(ii) धारा 8 की उपधारा (1) ; या

(iii) धारा 31 की उपधारा (4) ; या

(iv) धारा 35 की उपधारा (3); या

(v) धारा 40 ;

(घ) तद्धीन जारी किए गए किसी निदेश,—

(i) धारा 8 की उपधारा (3) ; या

(ii) धारा 24 की उपधारा (4) ; या

(iii) धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ग) या खंड (घ) का ; या

(ङ) धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन अधिरोपित किन्हीं शर्तों या खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिषेधों ; या

(च) धारा 41 के अधीन जारी की किसी सूचना,

तब, यदि ऐसे भंग या उल्लंघन से लोक या पर्यावरण को गंभीर खतरा या जोखिम होने की संभावना नहीं है, तो उपधारा (2) के अधीन अभिहित न्यायनिर्णायक अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्वोक्त भंग और उल्लंघनों के किन्हीं प्रवर्गों के लिए ऐसी शास्तियां अधिरोपित कर सकेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार या बोर्ड अपने किसी अधिकारी को, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रुप में अभिहित कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन शास्ति अवधारित करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी निम्नलिखित कारकों का सम्यक रुप से ध्यान रखेगा, अर्थात् :—

(क) भंग या उल्लंघन की प्रकृति, गंभीरता और अवधि ;

(ख) नाभिकीय या विकिरण सुरक्षा संबंधी भंग या उल्लंघन के परिणाम ;

(ग) भंग या उल्लंघन की आवृतीय प्रकृति ;

(घ) क्या व्यक्ति ने भंग या उल्लंघन के परिणामस्वरुप लाभ प्राप्त किया है या किसी हानि से बचा है ;

(ङ) क्या व्यक्ति ने भंग या उल्लंघन के प्रभावों और परिणामों को कम करने के लिए कोई कार्रवाई की और ऐसी कार्रवाई की समयबद्धता और प्रभावशीलता ;

(च) क्या अधिरोपित की जाने वाली शास्ति आनुपातिक है और आगे किसी भंग या उल्लंघन को रोकने के लिए पर्याप्त है ; और

(छ) व्यक्ति पर शास्ति के अधिरोपण का संभावित प्रभाव ।

(4) निरंतर उल्लंघन की दशा में न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

(5) इस धारा के अधीन किसी शास्ति की रकम, यदि संदत्त नहीं की जाती है, तो इस प्रकार वसूल की जा सकेगी, मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो ।

(6) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्तियों के रुप में वसूल की गई सभी राशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी ।

अपराधों के लिए दंड ।

71. (1) धारा 70 के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कोई,—

(क) धारा 70 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट भंग या उल्लंघन करता है जिससे लोक या पर्यावरण को गंभीर खतरा या जोखिम होने की संभावना हो; या जानबूझकर या बारंबार कोई ऐसा भंग या उल्लंघन करता है;

(ख) बिना अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकरण के कोई कार्यकलाप करता है जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकरण अपेक्षित है;

(ग) इस अधिनियम के अधीन संरक्षा या सुरक्षा अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है;

(घ) धारा 15 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है;

(ङ) धारा 68 के अधीन रकम जमा करने में असफल रहता है; या

(च) धारा 70 के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति का संदाय करने में असफल रहता है,

इस अधिनियम के अधीन अपराध होना समझा जाएगा और वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में किसी प्राधिकारी या अधिकारी को बाधा पहुंचाएगा, या जानबूझकर केंद्रीय सरकार या बोर्ड को प्रस्तुत किसी विवरणी या रिपोर्ट में कोई मिथ्या घोषणा या कथन करता है वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।

(3) जो कोई उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न या षडयंत्र करता है वह उसी दंड से दायी होगा जो ऐसे अपराधों के लिए लागू होता है ।

(4) जो कोई स्रोत सामग्री या विखंडय सामगी या रेडियोधर्मी सामग्री के अनधिकृत अपसारण या उपयोग या किसी प्रतिषिद्ध जानकारी के प्रकटन में भाग लेता है या ऐसा करता है या ऐसा करने का दुष्प्रेरण करता है या उकसाता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।

(5) जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी कारखाने, खान या किसी सुविधा से संबंधित है, वहां ऐसे कारखाने, खान या किसी सुविधा का अधिभोगी, स्वामी या नियोक्ता अपराध किए जाने के समय प्रतिबद्ध था, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और उसे दंडित किया जाएगा :

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे अधिभोगी, स्वामी या नियोक्ता को किसी दंड का दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

72. (1) जहां किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस समय जब अपराध किया गया था, कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का सीधे ही भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के दायी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को, इस अधिनियम के अधीन किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध

कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "निदेशक" से,–

(i) फर्म के संबंध में, उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ;

(ii) व्यष्टियों के संगम के संबंध में संगम का प्राधिकृत प्रतिनिधि अभिप्रेत है ।

सरकारी विभागों द्वारा अपराध ।

73. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहां विभाग का प्रधान अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा :

परंतु इस धारा की कोई बात विभाग के ऐसे प्रधान को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

अपराधों का संज्ञान।

74. (1) धारा 71 के अधीन अपराध, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन संज्ञेय होंगे, किन्तु सिवाय केंद्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की गई लिखित शिकायत पर इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए किसी व्यक्ति के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होगी : 2023 का 46

परंतु धारा 71 की उपधारा (4) के अधीन अपराधों के संबंध में कार्रवाईयां, भारत के महान्यायवादी की सहमति के सिवाय संस्थित नहीं होंगी।

(2) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण नहीं करेगा ।

अपराधों के अन्वेषण की शक्ति।

75. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 74 के अधीन की गई शिकायत पर इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी, जो पुलिस निरीक्षक के रैंक से नीचे का न हो, अन्वेषण करेगा। 2023 का 46

अपराधों के शमन की शक्ति।

76. (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कार्यवाही के संस्थित होने से पूर्व या पश्चात् न्यायालय द्वारा जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाहियां लंबित हैं, शमन किया जा सकेगा । 2023 का 46

(2) यह विनिश्चय करने में कि क्या इस अधिनियम के अधीन अपराध शमनीय है, न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(क) आचरण की गंभीरता ;

(ख) आम जनता के सामने खड़ा किया गया जोखिम ;

(ग) प्रतिवादी की मनःस्थिति ;

(घ) प्रतिवादी के प्रत्यास्थापन की ओर उठाए गए कदम ;

(ङ) केंद्रीय सरकार और बोर्ड की राय ; और

(च) कोई अन्य कारक, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(3) धारा 71 की उपधारा (1) के खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) तथा उपधारा (4) के अधीन अपराध या कोई अपराध, जो नाभिकीय सुरक्षा या नाभिकीय संरक्षा के सामने गंभीर जोखिम खड़ा करता है, शमनीय नहीं होंगे ।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को अनुदान।

77. (1) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, बोर्ड को ऐसी राशि की धनराशि का अनुदान कर सकेगी, जिससे बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन उसके कार्य करने में समर्थ बना सके ।

(2) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और समय पर, जो विहित किया जाए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों को दर्शाते हुए उसका बजट तैयार करेगा तथा उसे परमाणु ऊर्जा आयोग को प्रस्तुत करेगा ।

बोर्ड के लेखे और लेखापरीक्षा ।

78. (1) बोर्ड, उचित लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेखों का रख-रखाव करेगा तथा ऐसे प्ररूप में लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा, जो विहित किया जाए ।

(2) बोर्ड के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की उसे बोर्ड द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(3) बोर्ड के लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा किसी अन्य व्यक्ति के वही अधिकार और विशेषाधिकार होंगे तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वही प्राधिकार होगा, जो सरकारी लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में साधारणतया होता है तथा विशिष्टतया बोर्ड की पुस्तकों, लेखाबहियों, संबद्ध वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजों को उपलब्ध करवाने की मांग करने तथा बोर्ड के किन्हीं कार्यालयों के अन्वेषण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ यथा सत्यापित बोर्ड के लेखों को वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केंद्रीय सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी ।

बोर्ड द्वारा विवरणियों और रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना ।

79. (1) बोर्ड, केंद्रीय सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जैसा विहित किया जाए, ऐसी विवरणियों और विवरणों तथा वित्त और लेखों से संबंधित ऐसी विशिष्टियां, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर अपेक्षित की जाएं, प्रस्तुत करेगा ।

(2) बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में एक बार पूर्व वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का सार देने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा रिपोर्ट की प्रतियां परमाणु ऊर्जा आयोग को अग्रेषित की जाएंगी ।

(3) केंद्रीय सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्रति को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

दावा आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना ।

80. दावा आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, उस वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा देने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा और जिसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर वर्जन ।

81. किसी सिविल न्यायालय के पास कोई विषय, जिसे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, बोर्ड, अपील अधिकरण, दावा आयोग या दावा आयुक्त इस अधिनियम के अधीन अवधारित या न्यायनिर्णित करने के लिए सशक्त है, के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी तथा इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

82. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी बात या किए जाने के लिए आशियत किसी बात के संबंध में, केंद्रीय सरकार या बोर्ड या परिषद् या उनके कोई कर्मचारी और अधिकारी या उनके निमित्त कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

पहली और दूसरी अनुसूची के संशोधन की शक्ति ।

83. (1) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, तो अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी, वह—

(क) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट शास्तियों की रकम का भंग या उल्लंघन के प्रवर्ग के लिए उच्चतर या निम्नतर रकम का उपबंध करने हेतु पुनर्विलोकन कर सकेगी ; या

(ख) उन्नत प्रौद्योगिकी तथा वर्धित सुरक्षा विशेषताओं और अन्य सुसंगत मानदंडों के साथ नाभिकीय संस्थापन के परिनियोजन के संबंध में उच्चतर या निम्नतर रकम का उपबंध करने के लिए दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रचालकों के दायित्व की मात्रा का पुनर्विलोकन कर सकेगी,

और उस पर, यथास्थिति, पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची तद्नुसार संशोधित हुई समझी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना की प्रति उसके जारी होने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

84. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन रेडियोधर्मी तत्वों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति और दस्तावेज, सूचना और फीस ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए रीति, निबंधन और शर्तें ;

(घ) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन सुविधा का नियंत्रण लेने तथा अन्य बाध्यताओं की अनुपालना की रीति ;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन सुरक्षा, संरक्षा और रक्षोपायों की निबंधन तथा शर्तें तथा उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा

अनुरक्षित करने की रीति ;

(च) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन नाभिकीय दायित्व निधि स्थापित करने की रीति ;

(छ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बीमा पॉलिसी या ऐसी अन्य वित्तीय सुरक्षा अभिप्राप्त करने की रीति ;

(ज) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव ;

(झ) धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम अनुसंशित करने के लिए खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ञ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, प्रोत्साहनों, हकदारियों और सेवा की अन्य शर्तें ;

(ट) धारा 24 की उपधारा (3) के खंड (द) के अधीन बोर्ड द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कृत्य तथा प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां ;

(ठ) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन जांच और सत्यापन क्रियान्वित करने की रीति ;

(ड) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन जांच के संचालन की रीति ;

(ढ) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण क्रियान्वित करने की रीति ;

(ण) धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन रीति, जिसमें अर्जन किया जाएगा ;

(त) धारा 47 की उपधारा (3) के अधीन परिषद् की बैठकों में तकनीकी विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के लिए निबंधन और शर्तें ;

(थ) धारा 47 की उपधारा (4) के अधीन परिषद् की बैठकों का समय, स्थान, प्रक्रिया के नियम और गणपूर्ति ;

(द) धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन तकनीकी सदस्य (परमाणु ऊर्जा) की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति की रीति और संरचना ;

(ध) धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष कोई अपील फाइल करने का प्ररूप और रीति ;

(न) धारा 58 के अधीन दावा आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां ;

(प) धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन दावा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ;

(फ) धारा 62 की उपधारा (2) के अधीन दावा आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की निबंधन और अन्य शर्तें ;

(ब) धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन दावा आयुक्त या दावा आयोग के समक्ष प्रतिकर के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति ;

(भ) धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन नाभिकीय क्षति के लिए दावों के न्यायनिर्णयन हेतु अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(म) धारा 65 की उपधारा (2) के अधीन जांच करवाने के लिए विशेषज्ञों को

रखने हेतु निबंधन और शर्तें तथा उन्हें संदत्त पारिश्रमिक, फीस या भत्ते ;

(य) धारा 65 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन कोई अन्य विषय ;

(यक) धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन बजट तैयार करने का प्ररूप और रीति ;

(यख) धारा 78 की उपधारा (1) के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करने का प्ररूप ;

(यग) धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन विवरणियां, विवरण तथा विशिष्टियां प्रस्तुत करने का समय, प्ररूप तथा रीति ;

(यघ) धारा 80 के अधीन दावा आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और रीति ;

(यङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकेगा या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

विनियमन बनाने की शक्ति ।

85. (1) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए विनियमन बना सकती है ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमन निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन सुरक्षा प्राधिकार की अपेक्षा करने के लिए सुविधा और क्रियाकलाप ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन विकीर्ण चिकित्सात्मक आपात स्थिति ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सुरक्षा प्राधिकार के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति तथा दस्तावेज, सूचना और फीस;

(घ) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सुरक्षा प्राधिकार अनुदत्त करने के लिए रीति, निबंधन और शर्तें ;

(ङ) धारा 21 के अधीन बोर्ड की बैठकों का समय, स्थान, प्रक्रिया के नियम और गणपूर्ति ;

(च) धारा 24 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन नाभिकीय और विकीर्ण सुविधाओं तथा सहबद्ध क्रियाकलापों के जीवनकाल के विभिन्न प्रक्रमों के दौरान सुरक्षा प्राधिकार का अनुदत्त किया जाना ;

(छ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अधिकारी के आदेश या विनिश्चय के पुनर्विलोकन की रीति ;

(ज) कोई अन्य विषय, जिसे विनिर्दिष्ट किया जाना है या विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

नियमों, विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

86. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक पश्चात् के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में किसी उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं या तो वे ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा, यदि

उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा, तथापि नियम या विनियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव ।

87. इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमन या इस अधिनियम से भिन्न, किसी अधिनियमन के आधार पर ऐसे प्रभावी किसी अन्य लिखित में अंतर्विष्ट उसके साथ असंगत किसी अन्य बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति ।

88. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं, केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाईयों को दूर करने के लिए, जैसा आवश्यक या समीचीन हो, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसे उपबंध बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्षों के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अधिनियम 1970 का 39 का संशोधन ।

89. तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमन उसके चौथे स्तम्भ में वर्णित विस्तार और रीति के अनुसार संशोधित किया जाता है ।

सरकार पर बाध्यकारी अधिनियम ।

90. इस अधिनियम के उपबंध सरकार पर बाध्यकारी होंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

1962 का 33
2010 का 38

91. (1) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 तथा नाभिकीय क्षति के लिए नाभिकीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 का निरसन किया जाता है ।

(2) पूर्वोक्त अधिनियमनों के निरसन के होते हुए भी की गई कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत इस प्रकार निरसित अधिनियमनों के अधीन निकाय या प्राधिकरण का सृजन, अनुज्ञप्ति का अनुदत्त किया जाना या किसी भी ज्ञात नाम द्वारा अनुज्ञा दिया जाना, छूट अनुदत्त करना, जांच या अन्वेषण का संचालन करना या आदेश पारित करना, नोटिस जारी करना, कोई दस्तावेज या लिखत निष्पादित करना, निधि संग्रहीत करना या कोई लंबित या चल रही कार्यवाही, शिकायत या अपील, इस अधिनियम के अधीन की गई या करवाई गई समझी जाएगी ।

(3) इस प्रकार निरसित अधिनियमन के अधीन बनाए गए या जारी किए गए या बनाए जाने या जारी किए जाने के लिए तात्पर्यित सभी नियम, अधिसूचना, आदेश, निदेश और विनियामक दस्तावेज, जहां तक यह उन विषयों से संबंधित हैं जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन उपबंध बनाए गए हैं तथा जो उसके साथ असंगत नहीं हैं, इस अधिनियम के अधीन ऐसे बनाए या जारी किए गए हैं, मानो यह अधिनियम उस तारीख पर, जिस पर ऐसे नियम, अधिसूचना, आदेश, निदेश और विनियामक दस्तावेज बनाए या जारी किए गए थे, प्रवृत्त था, और तब तक प्रवृत्त रहना जारी रहेगा, जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन बनाए गए या जारी किए गए किसी नियम, अधिसूचना, आदेश, निदेश और विनियामक दस्तावेज द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिए जाते ।

(4) किसी कार्यालय में किसी निरसित अधिनियमन के अधीन या आधार पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस कार्यालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन या आधार पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा ।

(5) विधि के किसी सिद्धांत या नियम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन या छूट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस बात के होते हुए भी कि वही क्रमशः निरसित अधिनियमनों द्वारा, उनमें या उनसे किसी भी रीति में पुष्टि या मान्यता दी गई हो या व्युत्पन्न किया गया हो ।

(6) इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान कार्यालय जारी रहेंगे, जैसै कि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित किए गए हैं ।

पहली अनुसूची

[धारा 70(1) और धारा 83(1) देखिए]

भंग और उल्लंघन के प्रवर्गों के लिए शास्तियां

भंग और उल्लंघन के प्रवर्ग	शास्ति (रुपए में)
कठोर	पचास लाख रुपए से अन्यून, किंतु एक करोड़ रुपए तक हो सकेगी ।
मुख्य	दस लाख रुपए से अन्यून, किंतु पचास लाख रुपए तक हो सकेगी ।
मध्यम	पांच लाख रुपए से अन्यून, किंतु दस लाख रुपए तक हो सकेगी ।
गौण	पचास हजार रुपए से अन्यून, किंतु पांच लाख रुपए तक हो सकेगी ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 11(2)(3), धारा 13(2), धारा 14(1)(क), धारा 15(1), धारा 16, धारा 68(1)(ख) और धारा 83(1) देखिए]

नाभिकीय संस्थापन के विभिन्न प्रवर्गों के लिए प्रचालकों के दायित्व की सीमा

क्र. सं.	नाभिकीय संस्थापन के प्रवर्ग	प्रचालकों के दायित्व की सीमा करोड़ (रुपए) में
(1)	(2)	(3)
1.	3600 मेगावाट से ऊपर थर्मल पावर का रिएक्टर	3000
2.	1500 मेगावाट से ऊपर तथा 3600 मेगावाट तक के थर्मल पावर का रिएक्टर	1500
3.	750 मेगावाट से ऊपर तथा 1500 मेगावाट तक के थर्मल पावर का रिएक्टर	750
4.	150 मेगावाट से ऊपर तथा 750 मेगावाट तक के थर्मल पावर का रिएक्टर	300
5.	150 मेगावाट तक का थर्मल पावर का रिएक्टर, खपत तेल के पुनः प्रसंस्करण संयंत्रों से भिन्न तेल चक्र सुविधा और नाभिकीय माल का परिवहन	100

तीसरी अनुसूची

[धारा 89 देखिए]

संशोधन

वर्ष	संख्या	लघुनाम	संशोधन
1970	39	पेटेंट अधिनियम, 1970	1. धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- "**4.नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित आविष्कार--**नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित आविष्कारों के लिए पेटेंटे, इस अधिनियम के उपबंध और भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन अधिनियम, 2025 की धारा 38 के अधीन रहते हुए अनुदत्त किया जा सकता है" 2. धारा 65 की उपधारा (1) में, "परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 20 की उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन अधिनियम, 2025 की धारा 38" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) को परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1948 को निरस्त करने के पश्चात इस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था कि भारत के लोगों के कल्याण तथा अन्य शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणुवीय ऊर्जा के विकास, नियंत्रण और उपयोग हेतु एक विधिक ढांचा प्रदान किया जा सके । इसके पश्चात परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में वर्ष 1986, वर्ष 1987 तथा वर्ष 2015 में संशोधन किए गए । इन क्रमिक संशोधनों के माध्यम से, जो परमाणुवीय ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ में केवल केन्द्रीय सरकार तक सीमित था, उसका दायरा क्रमशः सरकारी कंपनियों तथा उनके बीच संयुक्त उपक्रमों तक विस्तारित किया गया । वर्ष 2010 में, परमाणुवीय क्षति के लिए परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 (2010 का 38) परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व और त्रुटिरहित दायित्व व्यवस्था के माध्यम से किसी परमाणुवीय घटना के पीड़ितों को शीघ्र प्रतिकर के संदाय का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. परमाणुवीय ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना से ही सुदृढ़ अनुसंधान और विकास समर्थन के परिणामस्वरूप, भारत परमाणुवीय ईंधन चक्र प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सफल रहा है और वह अपने परमाणुवीय ऊर्जा कार्यक्रम का संचालन उत्तरदायी ढंग से करता आ रहा है । अब पर्याप्त अनुभव उपलब्ध होने के कारण, स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय डेटा केंद्रों और भविष्य के लिए तैयार अनुप्रयोगों हेतु विश्वसनीय चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए अपनी परमाणुवीय स्थापित क्षमता में वृद्धि करने का उपयुक्त समय है ।

3. भारत ने वर्ष 2070 तक अर्थव्यवस्था के डी-कार्बनाइजेशन हेतु एक रूपरेखा के साथ ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है तथा वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणुवीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि भारत की परमाणुवीय ऊर्जा तथा स्वदेशी संसाधनों की पूर्ण क्षमता का उपयोग सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से किया जाए, जिसके लिए एक नया विधायी ढांचा अधिनियमित किया जाए । यह विधेयक वैश्विक परमाणुवीय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने में घरेलू परमाणुवीय ऊर्जा के योगदान का भी लाभ उठाने का प्रयास करता है ।

4. पूर्ववर्ती पैराओं में उल्लिखित कारणों के मद्देनजर, एक नया व्यापक विधान, अर्थात् "भारत के रूपांतरण हेतु परमाणुवीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक, 2025" अधिनियमित करना तथा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 को निरसित करना आवश्यक है । यह नया विधान भारत के कुल ऊर्जा मिश्रण में परमाणुवीय ऊर्जा की भागीदारी बढ़ाने, परमाणुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहित करने, इसके अनुप्रयोगों को गैर-विद्युत क्षेत्रों तक विस्तारित करने तथा सुरक्षा, संरक्षा, रक्षोपाय और परमाणुवीय दायित्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं का निरंतर पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्यों के अनुरूप है ।

5. यह विधेयक, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उपबंध करने के

लिए है, अर्थात् :--

(i) विधेयक की धारा 3 विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को परमाणुवीय ऊर्जा के उत्पादन अथवा उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति और सुरक्षा प्राधिकार प्रदान करने और कतिपय परिस्थितियों में ऐसी अनुज्ञप्ति और सुरक्षा प्राधिकार के निलंबन और निरस्तीकरण का उपबंध करने के लिए है ;

(ii) स्वास्थ्य देखरेख, खाद्य और कृषि, उद्योग, अनुसंधान और अन्य गैर-विद्युत उपयोगों में परमाणुवीय और विकिरण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का विनियमन करने के लिए है ;

(iii) अनुसंधान, विकास और नवाचार क्रियाकलापों को अनुज्ञप्ति मुक्त करने के लिए है ;

(iv) परमाणुवीय नुकसान के लिए एक व्यवहारिक सिविल दायित्व व्यवस्था का उपबंध करने के लिए है ;

(v) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड को कानूनी प्रास्थिति प्रदान करने के लिए है ;

(vi) सुरक्षा, संरक्षा और रक्षोपायों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने तथा आपातकालीन तैयारी और प्रत्युत्तर हेतु क्वालिटी आश्वासन और सुचारु समन्वय के लिए नीति ढांचा प्रदान करने के लिए है ;

(vii) कतिपय मामलों में अर्जन अधिकारों को विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित करने का उपबंध करने के लिए है ;

(viii) विवादों के निवारण के लिए परमाणु ऊर्जा प्रतितोष सलाहकार परिषद् की स्थापना का उपबंध करने के लिए है ;

(ix) यह उपबंध करने के लिए है कि विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन स्थापित विद्युत अपील अधिकरण ही इस विधेयक के प्रयोजनों के लिए अपील अधिकरण होगा ;

(x) परमाणुवीय नुकसान के संबंध में प्रतिकर दावों के न्यायनिर्णयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दावा आयुक्तों के रूप में अधिकारियों को पदाभिहित करने का उपबंध करने के लिए है ; और

(xi) गंभीर परमाणुवीय नुकसान के मामलों में न्यायनिर्णयन के लिए परमाणुवीय नुकसान दावा आयोग की स्थापना का उपबंध करने के लिए है ।

6. खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों का विस्तृत वर्णन करने के लिए हैं ।

7. यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
12 दिसम्बर, 2025

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1 विधेयक के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करता है ।

विधेयक के खंड 2 में विधेयक में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया गया है, जैसे कि "नाभिकीय क्षति", "नाभिकीय ऊर्जा", "नाभिकीय सुविधा", "नाभिकीय घटना", "विहित सीमा", "विकिरण", आदि ।

विधेयक का खंड 3, अन्य बातों के साथ, भारत सरकार के किसी भी विभाग, कंपनी, संयुक्त उद्यम आदि को इस खंड में विनिर्दिष्ट सुविधाओं की स्थापना करने या क्रियाकलापों को करने की अनुमति केवल अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकरण के अधीन ही दी गई है । यह केंद्रीय सरकार को कुछ संवेदनशील प्रकृति की क्रियाकलापों को अपने अनन्य नियंत्रण में आरक्षित रखने का और अधिकार देता है ।

विधेयक का खंड 4 बोर्ड को किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ और विकिरण उत्पन्न करने वाले उपस्करों के निर्माण, प्रयोग, निर्यात, आयात, परिवहन, हस्तांतरण आदि को विनियमित करने में समर्थ बनाती है । यह केंद्रीय सरकार को रेडियोधर्मी पदार्थों की सुरक्षा के लिए उपाय निर्दिष्ट करने का और अधिकार देती है ।

विधेयक का खंड 5 केंद्रीय सरकार को यूरेनियम या थोरियम की खोज हेतु अन्वेषण क्रियाकलापों को संचालित करने का अधिकार देती है । इसमें खनिजों में यूरेनियम और थोरियम की मात्रा के लिए सीमा मान अधिसूचित करने का उपबंध है, जिसके ऊपर खनन की अनुमति केवल सरकार और सरकारी उपक्रमों को ही दी जाएगी । इसमें, अन्य बातों के साथ, केंद्रीय सरकार को उन व्यक्तियों पर कुछ नियम और शर्तें अधिरोपित करने का अधिकार देती है जो ऐसे पदार्थों के खनन में लगे हैं जिनसे यूरेनियम को पृथक या निकाला जा सकता है ।

विधेयक का खंड 6 में अनुज्ञप्ति और सुरक्षा प्राधिकार प्रदान करने के लिए शुल्क, सुसंगत दस्तावेजों और सूचनाओं के साथ आवेदन करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 7 में अन्य बातों के साथ, केंद्रीय सरकार और बोर्ड द्वारा अनुज्ञप्ति और सुरक्षा प्राधिकार प्रदान करने का उपबंध करता है, जो क्रमशः विधियों और विनियमों में विहित शर्तों के अधीन होगा । यह केंद्रीय सरकार और बोर्ड को अनुज्ञप्ति और सुरक्षा प्राधिकरण प्रदान करने से इनकार करने का और अधिकार भी देता है ।

विधेयक का खंड 8 में अनुज्ञप्ति और सुरक्षा प्राधिकार के निलंबन, उपांतरण, कटौती और रद्द करने के आधार और अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकरण के ऐसे निलंबन, उपांतरण, कटौती या रद्द करने के संबंध में सरकार या बोर्ड द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाइयों का उपबंध है ।

विधेयक का खंड 9 किसी भी व्यक्ति को नाभिकीय ऊर्जा और विकिरण से संबंधित मामलों में शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अनुसंधान, विकास, डिजाइन और नवाचार करने में सक्षम बनाती है, सिवाय संवेदनशील प्रकृति की क्रियाकलापों के जो विशेष रूप से केंद्रीय सरकार के लिए आरक्षित हैं ।

विधेयक के खंड 10 में अनुज्ञप्ति या प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों के कर्तव्यों का उपबंध करता है । उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ, अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति पर सुरक्षा, संरक्षा, सुरक्षा उपायों और दायित्व संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन को

सुनिश्चित करने के लिए अधिरोपण, प्रतिबंध, प्रतिषेध और दायित्व लगाए गए हैं ।

विधेयक के खंड 11 में अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि नाभिकीय प्रतिष्ठान में घटित नाभिकीय दुर्घटना के कारण हुई क्षति के लिए संचालक उत्तरदायी होगा, साथ ही नाभिकीय प्रतिष्ठान के बाहर घटित ऐसी दुर्घटना के लिए भी उत्तरदायी होगा जिसमें नाभिकीय सामग्री सम्मिलित हो और संचालक ने दायित्व ग्रहण किया हो ।

विधेयक का खंड 12 ऐसी परिस्थितियों का उपबंध करने के लिए है, जिसके अधीन कोई प्रचालक किसी नाभिकीय क्षति के लिए दायी नहीं होगा, जिसके अंतर्गत नाभिकीय दुर्घटना द्वारा कारित कोई नाभिकीय क्षति, जो किसी असाधारण प्रकार की गंभीर प्राकृतिक आपदा के कारण या सशस्त्र संघर्ष, शत्रुता, गृहयुद्ध, विद्रोह या आतंकवाद के कृत्यों के कारण प्रत्यक्ष रूप से होती हो ।

विधेयक के खंड 13 में दायित्व की सीमा से संबंधित उपबंध किए गए हैं । इसमें दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों के नाभिकीय प्रतिष्ठानों के लिए संचालक के अधिकतम दायित्व की राशि विहित की गई है ।

विधेयक के खंड 14 केंद्रीय सरकार की देयता का उपबंध करती है । यह कुछ परिस्थितियों में केंद्रीय सरकार की देयता को सीमित करने का प्रयास करती है । यह केंद्रीय सरकार को अपनी देयताओं को पूरा करने के उद्देश्य से नाभिकीय दायित्व निधि स्थापित करने का अधिकार भी देती है ।

विधेयक का खंड 15 के अधीन, नाभिकीय प्रतिष्ठान का संचालन शुरू करने से पहले संचालक पर यह दायित्व होता है कि वह दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट अपनी देनदारी को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी या ऐसी अन्य वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करे और उसका नवीनीकरण करे । तथापि, केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाले नाभिकीय प्रतिष्ठान को इस दायित्व से छूट दी गई है ।

विधेयक का खंड 16 में यह उपबंध करता है कि नाभिकीय प्रतिष्ठान के संचालक को संसाधन कार्रवाई का अधिकार होगा, जहां ऐसा अधिकार लिखित अनुबंध में स्पष्ट रूप से दिया गया हो या जहां नाभिकीय दुर्घटना किसी व्यक्ति द्वारा नाभिकीय क्षति पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्य या चूक के परिणामस्वरूप हुई हो ।

विधेयक के खंड 17 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के गठन का उपबंध है । इसमें बोर्ड की संरचना और इस उद्देश्य के लिए गठित खोज-सह-चयन समितियों की सिफारिशों पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का भी उपबंध है । उक्त खंड में केंद्रीय सरकार को बोर्ड के स्वायत्त कामकाज के लिए आवश्यक अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को अधिसूचित करने का अधिकार भी देता है ।

विधेयक के खंड 18 में बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल, शर्तों और सेवा की अन्य स्थितियों का उपबंध करता है । इसमें अध्यक्ष या बोर्ड के सदस्यों पर उनके कार्यकाल के दौरान और पद की समाप्ति के बाद कुछ प्रतिबंधों का भी उपबंध करता है ।

विधेयक के खंड 19 में यह उपबंध करता है कि अध्यक्ष या सदस्य केंद्रीय सरकार को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है या इस खंड के उपबंधों के अनुसार उसे पद से हटाया जा सकता है ।

विधेयक के खंड 20 में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण किसी रिक्ति के उत्पन्न होने की

तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, रिक्ति को भरने के लिए खोज-सह-चयन समिति को संदर्भ भेजेगी ।

विधेयक के खंड 21 में बोर्ड की बैठकों के संचालन का उपबंध है । इसमें उपबंध किया गया है कि बोर्ड की बैठकें ऐसे समय और स्थानों पर होंगी तथा बैठकों में कारबार के संचालन के संबंध में (बैठक में आवश्यक संख्या सहित) ऐसी कार्यविधियों का पालन किया जाएगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

विधेयक के खंड 22 में यह उपबंध किया गया है कि रिक्तियों आदि के कारण बोर्ड की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी ।

विधेयक के खंड 23 केंद्रीय सरकार को बोर्ड के प्रभावी संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों और पदों के अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यक संख्या उपलब्ध कराने का अधिकार देती है । इसमें बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, प्रोत्साहन, हकदारी और सेवा की अन्य शर्तों का भी उपबंध है ।

विधेयक के खंड 24 में विकिरण और नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग को विकिरण कर्मियों, आम जनता और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड की शक्तियों और कार्यों का उपबंध है । इसकी शक्तियों और कार्यों में, अन्य बातों के साथ, नाभिकीय, विकिरण और वउपजीविकाजन्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम और कार्यक्रम तैयार करना, नियामक दस्तावेज जारी करना, नाभिकीय दुर्घटना की सूचना के लिए मानदंड निर्दिष्ट करना आदि सम्मिलित हैं ।

विधेयक के खंड 25 केंद्रीय सरकार को संवेदनशील प्रकृति की या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सुविधाओं और क्रियाकलापों के नियमन के लिए एक या अधिक नियामक निकायों का गठन करने का अधिकार देती है । उक्त धारा सरकार को सार्वजनिक और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का भी अधिकार देती है ।

विधेयक के खंड 26 में केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड से सिफारिशें प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर नाभिकीय घटना की अधिसूचना देने का उपबंध है, लेकिन यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसी नाभिकीय घटना में निहित खतरे और जोखिम की गंभीरता नगण्य है, तो उसे नाभिकीय घटना की अधिसूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी ।

विधेयक के खंड 27 के अधीन बोर्ड को सशक्त करती है कि वह अपने अध्यक्ष, पूर्ण सदस्य, अपने अधिकारी या भारत सरकार में निदेशक से कम रैंक के न होने वाले राज्य सरकार के अधिकारी को विनियम बनाने और विनियामक दस्तावेज जारी करने के अधिकार को छोड़कर, अपने किसी भी अधिकार और कार्य को प्रत्यायोजित कर सकता है । इसमें आगे यह उपबंध है कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से बोर्ड को प्रस्तुत आवेदन पर प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा लिए गए आदेश या विनिश्चय की समीक्षा बोर्ड द्वारा की जा सकती है ।

विधेयक का खंड 28 केंद्रीय सरकार कुछ परिस्थितियों में बोर्ड को निरीक्षण की शक्तियां प्रदान करती है ।

विधेयक का खंड 29 केंद्रीय सरकार और बोर्ड को नाभिकीय या रेडियोलॉजिकल घटना आदि की शिकायत या घटना की जांच करने का अधिकार देती है ।

विधेयक के खंड 30 के अधीन केंद्रीय सरकार और बोर्ड को तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियां प्रदान की गई हैं । इसमें तलाशी और अभिग्रहण के संचालन के दौरान पुलिस

अधिकारी या केंद्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी की सहायता लेने का और उपबंध भी है ।

विधेयक के खंड 31 में उन कार्रवाइयों का उपबंध है जो केंद्रीय सरकार या बोर्ड जांच या तलाशी एवं अभिग्रहण के अनुसरण में कर सकता है, जिनमें अन्य बातों के सिवाय केंद्रीय सरकार द्वारा सामग्री या उपकरण को सील करना, अभिग्रहण करना, चेतावनी जारी करना, किसी भी कर्मी को मान्यता रद्द करना या उसका प्रमाणन रद्द करना, अनुज्ञप्ति या सुरक्षा प्राधिकार को उपांतरित करना, निलंबित करना, अवधि कम करना या रद्द करना, जुर्माना लगाना या शिकायत दर्ज करना सम्मिलित है ।

विधेयक के खंड 32 केंद्रीय सरकार को अन्य बातों के सिवाय, नाभिकीय ऊर्जा, सुरक्षा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन, सुरक्षा उपायों, गुणवत्ता आश्वासन और नियंत्रण आदि से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय नीतियां बनाने का अधिकार देती है और उसे विभिन्न कार्य सौंपती है ।

विधेयक का खंड 33 केंद्रीय सरकार को विहित रेडियोधर्मी पदार्थ, सामग्री, उपस्कर, संयंत्र, सुविधा, खान और उन खनिजों पर काम करने के अधिकार प्राप्त करने का अधिकार देती है जिनसे विहित पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं । इसमें आगे यह भी उपबंध है कि किसी परित्यक्त संयंत्र के अधिग्रहण पर, सरकार संयंत्र के विकास और सुरक्षित संचालन, विहित पदार्थ के निपटान, प्रयुक्त ईंधन प्रबंधन आदि के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है ।

विधेयक का खंड 34 केंद्रीय सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह उस पदार्थ की मांग कर सकती है, जिसमें उसकी राय में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या इनमें से कोई भी पदार्थ या कोई अन्य स्रोत सामग्री या विखंडनीय सामग्री विद्यमान हो ।

विधेयक का खंड 35 संविदा के नवीयन और ऐसे नवीयन पर संविदा के किसी भी पक्ष के अधिकार और दायित्व केंद्रीय सरकार को अंतरित हो जाएंगे, का उपबंध करने के लिए है । इसमें संविदा के नवीयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी उपबंध है ।

विधेयक का खंड 36 उन मामलों में प्रतिकर के संदाय से संबंधित सिद्धांतों को उपवर्णित करती है जहां विधेयक के अधीन यह देय है । देय प्रतिकर की रकम अवधारित करते समय, किसी भी पदार्थ या सामग्री में निहित यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या उनके समस्थानिकों के मूल्य, जिसमें इसके परिदान के दौरान हुए परिवहन की लागत भी सम्मिलित है, पर विचार नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 37 केंद्रीय सरकार को अपने द्वारा अधिसूचित मानदंडों और तंत्र के आधार पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से आपूर्ति की जाने वाली विद्दुत के लिए टैरिफ नियत करने के लिए सशक्त करती है । इसमें यह उपबंध भी है कि मानदंडों को विनिर्दिष्ट करते समय, ईंधन की लागत, ईंधन प्रबंधन की लागत, संयंत्र को बंद करने की लागत और केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की गई अन्य सेवाओं या कारकों को ध्यान में रखा जाएगा ।

विधेयक का खंड 38 परमाणु ऊर्जा और विकिरण के शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित आविष्कारों के लिए पेटेंट व्यवस्था प्रदान करती है, सिवाय संवेदनशील प्रकृति की कार्यकलापों के, जो विशेष रूप से केंद्रीय सरकार के लिए आरक्षित हैं । यह विधेयक से संबंधित पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया का भी उपबंध करती है ।

विधेयक का खंड 39 केंद्रीय सरकार को किसी सूचना को विधेयक के अधीन 'निर्बधिंत सूचना' घोषित करने के लिए सशक्त करती है और ऐसी सूचना के प्रकटीकरण के संबंध में प्रतिषेध अधिकथित करती है । यह सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन निर्बधिंत सूचना के प्रकटीकरण को भी अपवर्जित करती है ।

विधेयक का खंड 40 केंद्रीय सरकार को किसी भी परिसर को 'प्रतिषिद्ध क्षेत्र' घोषित करने के लिए सशक्त करती है, जहां परमाणु ऊर्जा या किसी विहित पदार्थ के उत्पादन, उपचार, उपयोग, अनुप्रयोग या निपटान के संबंध में अनुसंधान, डिजाइन या विकास सहित कार्य किया जाता है, और बिना अनुज्ञा के प्रतिषिद्ध क्षेत्र से किसी भी तस्वीर, रेखाचित्र, रेखाचित्र, मानचित्र या अन्य दस्तावेज के प्रवेश और पहुंच पर निर्बधिंत करती है ।

विधेयक का खंड 41 केंद्रीय सरकार को किसी भी व्यक्ति से उसके कब्जे में विद्यमान किसी भी पदार्थ, सामग्री, संयंत्र, सुविधा, खान, प्रक्रियाओं आदि के संबंध में कोई भी जानकारी मांगने या ऐसी कोई अन्य जानकारी जो वह इस विधेयक के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन के प्रयोजन से आवश्यक समझे के लिए सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 42 केंद्रीय सरकार को उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के उपबधों को प्रशासित करने और अपने स्वामित्व वाली या पूर्णतः अपने नियंत्रण वाली तथा इस विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने में लगी कंपनियों के संबंध में इसके उपबधों को प्रवृत्त करने के लिए सशक्त करती है । इसके अतिरिक्त, यह खंड केंद्रीय सरकार को बोर्ड को उक्त संहिता के कुछ उपबधों को, विशेष रूप से कारखानों में श्रमिकों के उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित उपबधों को प्रशासित करने का अधिकार सौंपने में सक्षम बनाती है ।

विधेयक का खंड 43 केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति के सिवाय अपनी किसी भी शक्ति को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी को, या राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी को, निदेशक के पद से नीचे के अधिकारी या प्राधिकारी को, प्रत्यायोजित करने के लिए सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 44 केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा संयंत्र, सुविधाओं, विहित पदार्थ या विहित पदार्थ की मात्रा या विहित उपस्कर और प्रौद्योगिकी को अनुज्ञप्ति या दायित्व की अपेक्षाओं या इस विधेयक के किसी भी उपबंध से छूट देने, जहॉ उसकी राय है कि इसमें सम्मिलित जोखिम को कम माना जाए और ऐसी छूट के लिए कारण अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे के लिए सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 45 केंद्रीय सरकार को किसी भी अनुज्ञप्तिधारी या किसी अन्य व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् विधेयक के उपबधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी करने के लिए सशक्त करती है, और ऐसा प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी या व्यक्ति ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा ।

विधेयक के खंड 46 का उपबंध करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्थिति में, परमाणु और विकिरण सुविधाओं, सामग्रियों, उपस्करों आदि पर नियंत्रण ग्रहण करने और ऐसी शक्तियों के प्रयोग में सभी आवश्यक या उपयुक्त उपाय करने की पूर्ण शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास निहित होंगी ।

विधेयक का खंड 47 परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद् की स्थापना का

उपबंध करने के लिए है । इसमें परिषद् की संरचना, तकनीकी विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का उपबंध और परिषद् की बैठकों का संचालन नियमों के अनुसार करने का भी उपबंध है ।

विधेयक का खंड 48 का उपबंध करता है कि अनुज्ञप्तिधारी या सुरक्षा प्राधिकारी धारक या केंद्रीय सरकार या बोर्ड के किसी आदेश या विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, जिसमें टैरिफ नियतन भी सम्मिलित है, परिषद् को पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है यह परिषद् को, अन्य बातों के साथ, विवादों के समाधान और निपटारे को सुगम बनाने के लिए पुनरीक्षण आवेदन की परीक्षा करने में सक्षम बनाता है ।

विधेयक के खंड 49 का उपबंध करता है कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन स्थापित विद्युत अपील अधिकरण इस विधेयक के प्रयोजनों के लिए विधेयक के अधीन मामलों में अपीलों की सुनवाई और निपटान करने हेतु अपील अधिकरण होगा ।

विधेयक के खंड 50 का उपबंध करता है कि विद्युत अपील अधिकरण में, उसकी वर्तमान संरचना के अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकतम दो अतिरिक्त तकनीकी सदस्य सम्मिलित होंगे ।

विधेयक का खंड 51 अपील अधिकरण को परिषद् के आदेश या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित की गई शास्ति के विरुद्ध अपील सुनने के लिए समर्थ करती है । यह अपील फाइल करने और अपील अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया का भी उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 52 अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाईल करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 53 परमाणु नुकसान के लिए दावों को प्रस्तुत करने हेतु राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 54 परमाणु नुकसान से व्यथित व्यक्ति को विधेयक के उपबधों के अनुसार प्रतिकर का दावा करने और ऐसे प्रतिकर के दावों का निपटारा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नामनिर्दिष्ट एक या अधिक दावा आयुक्तों द्वारा किया जाएगा के लिए सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 55 दावा आयुक्त द्वारा दावों के लिए आवेदन आमंत्रित करने का उपबंध करने के लिए है । यह उपबंध करता है कि परमाणु दुर्घटना की अधिसूचना के पश्चात्, दावा आयुक्त परमाणु नुकसान के प्रतिकर के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु व्यापक प्रचार करेगा ।

विधेयक का खंड 56 केंद्रीय सरकार को परमाणु नुकसान की सीमा और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए परमाणु नुकसान दावा आयोग स्थापित करने के लिए सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 57 परमाणु नुकसान दावा आयोग के गठन का उपबंध करने के लिए है । इसके अतिरिक्त दावा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं का भी उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 58 आयोग के अध्यक्ष की शक्तियों से संबंधित उपबंध करने के लिए है, इसके अतिरिक्त अध्यक्ष को आयोग के साधारण प्रशासन में अधीक्षण करने की शक्ति होगी और नियमों द्वारा निर्धारित ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे का उपबंध

करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 59 परमाणु नुकसान दावा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की आयु सीमा और कार्यकाल का उपबंध बनाने के लिए हैं । इसके अतिरिक्त परमाणु नुकसान दावा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्तों तथा सेवा की अन्य शर्तों और नियमों का भी उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 60 परमाणु नुकसान दावा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के त्यागपत्र और पद से हटाने का उपबंध बनाने के लिए हैं ।

विधेयक का खंड 61 परमाणु नुकसान दावा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के पद में रिक्तियों को भरने का उपबंध बनाने के लिए है ।

विधेयक का खंड 62 परमाणु नुकसान दावा आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है । इसके अतिरिक्त यह भी उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार आयोग को ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जिन्हें वह उचित समझे ।

विधेयक का खंड 63 परमाणु नुकसान दावों के निपटारे के लिए परमाणु नुकसान दावा आयोग का उपबंध करने के लिए है । इसके अतिरिक्त यह दावा आयोग के अध्यक्ष को दावों की सुनवाई के लिए पीठ गठित करने के लिए सशक्त करती है और ऐसे दावों पर कोई भी विनिश्चय सुनवाई करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 64 परमाणु नुकसान के लिए आवेदन करने के हकदार व्यक्तियों के प्रवर्ग और दावा आयुक्त और परमाणु नुकसान दावा आयोग के समक्ष आवेदन करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 65 दावा आयुक्त और परमाणु नुकसान दावा आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और परमाणु नुकसान के दावों के निपटारे के लिए उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 66 दावा आयुक्त और परमाणु नुकसान दावा आयोग द्वारा अधिनिर्णय देने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 67 दावे के अधिकार के समाप्त होने का उपबंध करता है । यह अन्य बातों के साथ यह उपबंध करता है कि परमाणु दुर्घटना के कारण हुए किसी भी परमाणु नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा यदि संपति से संबंधित नुकसान के लिए ऐसा दावा घटना की तारीख से दस वर्ष की अवधि के भीतर और व्यक्तिगत क्षति के लिए बीस वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है ।

विधेयक का खंड 68 अधिनिर्णयों के प्रवर्तन का उपबंध करने के लिए है । यह उपबंध करता है कि जब दावा आयुक्त या परमाणु नुकसान दावा आयोग द्वारा कोई अधिनिर्णय दिया जाता है, तो बीमाकर्ता या बीमा संविदा या वित्तीय सुरक्षा के अधीन अधिनिर्णय की रकम का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को दावा आयुक्त या आयोग द्वारा निदेशित समय और रीति में ऐसी रकम जमा करनी होगी, और शेष रकम जो ऐसे अधिनिर्णय की जमा की गई रकम से अधिक है, प्रस्तावित विधायन की दूसरी अनुसूची में उपबंधित उसके अधिकतम दायित्व सीमा के अधीन रहते हुए, प्रचालक द्वारा जमा की जाएगी ।

विधेयक का खंड 69 कुछ परिस्थितियों में परमाणु नुकसान दावा आयोग के

विघटन का उपबंध करने के लिए है । इसके अतिरिक्त ऐसे विघटनों के परिणामों का भी उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 70 केंद्रीय सरकार या बोर्ड को संयुक्त बोर्ड के पद से नीचे के अधिकारी को भंग या उल्लंघन के लिए धानिय शास्ति के उद्ग्रहण के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट करे,जो कम गंभीर प्रकृति के है के लिए सशक्त करती है । इसके अतिरिक्त का उपबंध करता है कि शास्तियों के अधिरोपण के माध्यम से एकत्र की गई रकम भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी ।

विधेयक का खंड 71, ननविधेयक के अधीन गंभीर अपराधों के लिए पांच वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंड के अधिरोपण का उपबंध करता है तथा कम गंभीर अपराधों के लिए कम से कम दंड का उपबंध करता है । यह और उपबंध करता है कि अन्य बातों के साथ स्रोत सामग्री, विखंडनीय सामग्री या रेडियोधर्मी सामग्री को अप्राधिकृत रूप से हटाने या उपयोग करने या निर्बंधित सूचना का प्रकटीकरण करने या दुष्प्रेरण या उद्दीपन का कार्य दस वर्ष तक के कठोर कारावास या जुर्माने के साथ या दोनों आदि से दंडनीय होगा ।

विधेयक का खंड 72, कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि जहां किसी कंपनी द्वारा विधेयक के अधीन कोई अपराध किया जाता है, तो अपराध करने के समय कंपनी के कारबार संचालन के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को उस अपराध का दोषी माना जाएगा तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि ऐसा अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

विधेयक का खंड 73, सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि जहां कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा विधेयक के अधीन किया गया है, तो विभाग प्रमुख को उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उक्त खंड के उपबंधों के अनुसरण में उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और उसे तदनुसार दंडित किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 74, अपराधों के संज्ञान का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि विधेयक के अधीन किसी भी अपराध का विचारण मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से नीचे का कोई भी न्यायालय नहीं करेगा और ऐसे अपराधों का संज्ञान केवल केंद्रीय सरकार या किसी प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर ही लिया जाएगा ।

विधेयक का खंड 75, उपबंध करता है कि विधेयक के अधीन दर्ज की गई शिकायत पर, केवल पुलिस निरीक्षक के रैंक से अन्यून पुलिस अधिकारी ही अपराधों की जांच करेगा ।

विधेयक का खंड 76, न्यायालय द्वारा कतिपय अपराधों के शमन का और ऐसे अपराध का शमन किया जाए या नहीं, के विनिश्चय हेतु विचार किए जाने वाले कारकों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 77, संसद द्वारा सम्यक् विनियोजन के पश्चात्, बोर्ड को धनराशि अनुदत्त करने का उपबंध करता है । इसके अतिरिक्त, यह बोर्ड से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने की अपेक्षा करता है, जिसमें बोर्ड की

प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाया जाएगा और उसी को परमाणु ऊर्जा आयोग को अग्रेषित किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 78, बोर्ड द्वारा समुचित लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेखों के अनुरक्षण का उपबंध करता है । इसमें बोर्ड से नियमों द्वारा ऐसे प्रारूप में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है, जिसकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे अंतरालों पर की जाएगी । यह और उपबंध करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या इस निमित्त उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित बोर्ड के लेखों को उस पर बनायी गई, लेखापरीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी और संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

विधेयक का खंड 79, ऐसे समय पर तथा ऐसे प्ररूप और रीति में, जो नियमों द्वारा बनाई जाएं, बोर्ड द्वारा वित्त एवं लेखा संबंधी विवरणियां, विवरण और अन्य ऐसी विशिष्टियां केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करने का उपबंध करती है । यह बोर्ड द्वारा वार्षिक रिपोर्ट परमाणु ऊर्जा आयोग को अग्रेषित करने का और उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 80, दावा आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि नाभिकीय क्षति दावा आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा लेखा-जोखा वार्षिक रिपोर्ट के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित रीति में तैयार करेगा तथा केंद्रीय सरकार को उसकी एक प्रति प्रस्तुत करेगा, ताकि वह इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रख सके ।

विधेयक का खंड 81, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता के अपवर्जन का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि किसी भी सिविल न्यायालय के पास उन मामलों के किसी वाद या कार्यवाहियों को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है, जिनके लिए केंद्रीय सरकार, नाभिकीय क्षति दावा आयोग या दावा आयुक्त, विधेयक के अधीन न्यायनिर्णयन के लिए सशक्त हैं । यह और उपबंध करता है कि विधेयक के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में की गई कार्रवाई या की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 82, कार्रवाई के संरक्षण का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि विधेयक या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए किसी कार्य या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए केंद्रीय सरकार या बोर्ड या परिषद् या उनके निमित्त किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

विधेयक का खंड 83, केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची में संशोधन करने के लिए सशक्त करता है, ताकि किसी भी प्रवर्ग के क्षति या उल्लंघन से संबंधित उच्चतर या निम्नतर रकम की शास्ति विनिर्दिष्ट की जा सके और दूसरी अनुसूची में प्रचालक की देयता की रकम को बढ़ाया या घटाया जा सके, जिसमें नाभिकीय संस्थापन में अंतर्वलित जोखिम की सीमा को ध्यान में रखा जाएगा । यह और अपेक्षा करता है कि ऐसी अधिसूचना की एक प्रति जारी होने के तुरंत पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाए ।

विधेयक का खंड 84, केंद्रीय सरकार को विधेयक के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है । उक्त खंड का उप-खंड (2) उन विभिन्न विषयों

को सूचीबद्ध करता है, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं ।

विधेयक का खंड 85, बोर्ड को विधेयक के उपबंधों को लागू करने के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त करता है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन विभिन्न विषयों को सूचीबद्ध करता है, जिनके संबंध में विनियम बनाए जा सकते हैं ।

विधेयक का खंड 86, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष नियमों और विनियमों को रखने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 87, विधेयक के उपबंधों को अध्यारोही प्रभाव का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि विधेयक के उपबंध, विधेयक से भिन्न किसी अन्य अधिनियमिती या विधेयक से भिन्न किसी अन्य अधिनियमिती के फलस्वरूप प्रभावी किसी अन्य लिखत में अंतर्विष्ट उपबंधों के होते हुए, भी प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 88, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का उपबंध करता है । यह केंद्रीय सरकार को विधेयक के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, विधेयक के उपबंधों के प्रभावी होने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश जारी करने हेतु सशक्त करता है । यह अपेक्षित है कि ऐसा प्रत्येक आदेश तुरंत संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाए ।

विधेयक का खंड 89, अधिनियम संख्यांक 1970 का 39 में तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट विस्तार और रीति में संशोधन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 90 यह उपबंध करता है कि विधेयक के उपबंध सरकार पर बाध्यकारी होंगे ।

विधेयक का खंड 91, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 के निरसन का उपबंध करता है । यह आगे निरसित अधिनियमों के अधीन किए गए कार्यों की व्यावृत्ति के लिए उपबंध करता है ।

वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 (2010 का 38) को निरसित करने और एक नया व्यापक विधान बनाने का उपबंध करता है, जिसका नाम, भारत के रूपान्तरण के लिए परमाणुवीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक, 2025 है, इसका उद्देश्य विशेष रुप से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को शामिल करके भारत की नाभिकीय ऊर्जा की पूरी क्षमता का दोहन करना है ।

2. विधेयक का खंड 14 में नाभिकीय घटना होने पर केंद्रीय सरकार के दायित्व का उपबंध करने के लिए है । तथापि, नाभिकीय घटना होने पर वास्तविक दायित्व घटना की गंभीरता पर निर्भर करेगा, इसलिए इस स्तर पर दायित्व के लागत का अनुमान लगाना कठिन है । केंद्रीय सरकार ने विधेयक के अधीन अपने दायित्व को पूरा करने के प्रयोजन से एक नाभिकीय दायित्व निधि स्थापित की है ।

3. विधेयक के खंड 17 में यह उपबंध है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अधीन बनाया गया परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड, विधेयक के अधीन ही बना हुआ माना जाएगा । इस बोर्ड और इसके अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यय सरकार के वार्षिक बजटीय सहायता से पूरा किया जाएगा ।

4. विधेयक का खंड 47 में परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकारी परिषद् बनाने का उपबंध करने के लिए है, जिसके सदस्य पदेन होंगे । परिषद् अधिकतम तीन तकनीकी विशेषज्ञों को बुला सकेगी, जिन्हें बैठकों के लिए बैठक भत्ता दिया जाएगा ।

5. विधेयक के खंड 49 में यह उपबंध है कि विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन बनाया गया अपीलीय अधिकरण, विधेयक के खंड 51 के अधीन फाइल की गई अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण के रूप में काम करेगा । विधेयक का खंड 50 केंद्रीय सरकार को अपीलीय अधिकरण के तकनीकी सदस्य के तौर पर नाभिकीय ऊर्जा के अधिकतम दो विशेषज्ञों को अधिसूचित करने को सशक्त करता है । तकनीकी सदस्य को मिलने वाले वेतन और भत्ते अपीलीय अधिकरण के दूसरे सदस्य के बराबर होंगे । यह व्यय सरकार की वार्षिक बजटीय सहायता से पूरा किया जाएगा ।

6. विधेयक का खंड 54, नाभिकीय हानि के लिए दावों पर न्यानिर्णयन करने के लिए दावा आयुक्तों को नामनिर्दिष्ट करने का उपबंध करता है। इसके अतिरिक्त, नाभिकीय हानि कितनी गंभीर है और कितनी है, इस आधार पर केंद्रीय सरकार विधेयक के खंड 56 के अधीन नाभिकीय हानि दावा आयोग स्थापित कर सकेगी । दावा आयुक्त और नाभिकीय हानि दावा आयोग को स्थापित करने में होने वाला आवर्ती और अनावर्ती व्यय, इस स्तर पर मापा नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी नाभिकीय घटना के मामले में उसके नियत करने के बाद ही इसका पता लगाया जा सकता है ।

7. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, विधेयक के अधिनियमित होने पर केंद्रीय सरकार के वार्षिक बजट पर पड़ने वाले वित्तीय विवक्षा में तत्काल कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी नहीं होगी ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 42, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के उपबंधों के प्रशासन हेतु, केन्द्रीय सरकार से संबंधित किसी कारखाने या उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कंपनी और जो इस विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने में लगे हैं, के संबंध में नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है ।

2. विधेयक के खंड 84 का उपखंड (1), केंद्रीय सरकार को, प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनके संबंध में उक्त नियम बनाए जा सकेंगे, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करते हैं--(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन विकिरण पदार्थ की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय ; (ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति और दस्तावेज, सूचना और फीस ; (ग) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए रीति, निबंधन और शर्तें ; (घ) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन प्रसुविधा या खान का नियंत्रण लेने तथा अन्य बाध्यताओं की अनुपालना की रीति ; (ङ) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन सुरक्षा, संरक्षा और रक्षोपायों की निबंधन तथा शर्तें तथा उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा अनुरक्षित करने की रीति ; (च) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन नाभिकीय दायित्व निधि स्थापित करने की रीति ; (छ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बीमा पॉलिसी या ऐसी अन्य वित्तीय सुरक्षा अभिप्राप्त करने की रीति ; (ज) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव ; (झ) धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम अनुसंशित करने के लिए खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; (ञ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, प्रोत्साहनों, हकदारियों और सेवा की अन्य शर्तें ; (ट) धारा 24 की उपधारा (3) के खंड (द) के अधीन बोर्ड द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कृत्य तथा प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां ; (ठ) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन जांच और सत्यापन क्रियान्वित करने की रीति ; (ड) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन जांच के संचालन की रीति ; (ढ) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण क्रियान्वित करने की रीति ; (ण) धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन रीति, जिसमें अर्जन किया जाएगा ; (त) धारा 47 की उपधारा (3) के अधीन परिषद् की बैठकों में तकनीकी विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के लिए निबंधन और शर्तें ; (थ) धारा 47 की उपधारा (4) के अधीन परिषद् की बैठकों का समय, स्थान, प्रक्रिया के नियम और गणपूर्ति ; (द) धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन तकनीकी सदस्य (परमाणु ऊर्जा) की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति की रीति और संरचना ; (ध) धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष कोई अपील फाइल करने का प्ररूप और रीति ; (न) धारा 58 के अधीन दावा आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां ; (प) धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन दावा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ; (फ) धारा 62 की उपधारा (2) के अधीन दावा आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते

तथा सेवा की निबंधन और अन्य शर्तें ; (ब) धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन दावा आयुक्त या दावा आयोग के समक्ष प्रतिकर के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति ; (भ) धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन नाभिकीय क्षति के लिए दावों के न्यायनिर्णयन हेतु अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; (म) धारा 65 की उपधारा (2) के अधीन जांच करवाने के लिए विशेषज्ञों को रखने हेतु निबंधन और शर्तें तथा उन्हें संदत्त पारिश्रमिक, फीस या भत्ते ; (य) धारा 65 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन कोई अन्य विषय ; (यक) धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन बजट तैयार करने का प्ररूप और रीति ; (यख) धारा 78 की उपधारा (1) के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करने का प्ररूप ; (यग) धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन विवरणियां, विवरण तथा विशिष्टियां प्रस्तुत करने का समय, प्ररूप तथा रीति ; (यघ) धारा 80 के अधीन दावा आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और रीति ; और (यङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकेगा या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

3. विधेयक के खंड 85 का उपखंड (1), परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड को, प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनके संबंध में उक्त विनियम बनाए जा सकेंगे, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करते हैं--(क) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन सुरक्षा प्राधिकार की अपेक्षा करने के लिए सुविधा और क्रियाकलाप ; (ख) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन विकिरण आपात स्थिति ; (ग) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सुरक्षा प्राधिकार के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति तथा दस्तावेज, सूचना और फीस ; (घ) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सुरक्षा प्राधिकार अनुदत्त करने के लिए रीति, निबंधन और शर्तें ; (ङ) धारा 21 के अधीन बोर्ड की बैठकों का समय, स्थान, प्रक्रिया के नियम और गणपूर्ति ; (च) धारा 24 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन नाभिकीय और विकीर्ण सुविधाओं तथा सहबद्ध क्रियाकलापों के जीवनकाल के विभिन्न प्रक्रमों के दौरान सुरक्षा प्राधिकार का अनुदत्त किया जाना ; (छ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अधिकारी के आदेश या विनिश्चय के पुनर्विलोकन की रीति ; और (ज) कोई अन्य विषय, जिसे विनिर्दिष्ट किया जाना है या विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

4. वे विषय, जिनके संबंध में नियम और बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

पेटेंन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 39)

से उद्धरण

* * * * *

1962 का 33

4. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाले परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कारों की बाबत कोई पेटेंट अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित आविष्कार का पेटेंट योग्य न होना ।

* * * * *

65. (1) जहां पेटेंट के अनुदान के पश्चात् किसी समय केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है पेटेन्ट परमाणु ऊर्जा से संबंधित ऐसे आविष्कार के लिए है जिसके लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन कोई पेटेंट अनुदत्त नहीं किया जा सकता है, वहां वह नियंत्रक को पेटेंट को प्रतिसंहृत करने को निदेश दे सकेगी और तदुपरि नियंत्रक, पेटेंटधारी को और ऐसे प्रत्येक अन्य व्यक्ति को, जिसका नाम पेटेंट में हित रखने वाले व्यक्ति के रूप में रजिस्टर में दर्ज किया गया है, सूचना देने के पश्चात् और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पेटेंट प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

1962 का 33

परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों में सरकार के निदेशों पर पेटेंट का प्रतिसंहरण या पूर्ण विनिर्देश का संशोधन ।

* * * * *